



सत्यमेव जयते

# वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

राजस्व विभाग





मध्यप्रदेश शासन

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

मध्यप्रदेश शासन  
**राजस्व विभाग**



# विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

## मंत्रालय

विभाग

मंत्री, राजस्व

प्रमुख सचिव

सचिव

सचिव

उप सचिव

अवर सचिव

राजस्व विभाग

श्री गोविंद सिंह राजपूत

श्री मनीष रस्तोगी

श्री ज्ञानेश्वर बी.पाटील

श्रीमती जी.व्ही. रश्मि

श्री मुजीबुर्रहमान खान

श्री दिनेश कुमार मौर्य

श्री राजेश ओगरे

सुश्री सुमन रायकवार

श्री अनूप कुमार मुण्डा

श्री राजेश कुमार कौल

## विभागाध्यक्ष

मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

राहत आयुक्त

पुनर्वास आयुक्त

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

प्रमुख राजस्व आयुक्त

श्री अश्विनी कुमार राय

श्री मनीष रस्तोगी

श्री मनीष रस्तोगी

श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटील

श्री ज्ञानेश्वर बी.पाटील

श्रीमती जी.व्ही. रश्मि



## अनुक्रमणिका

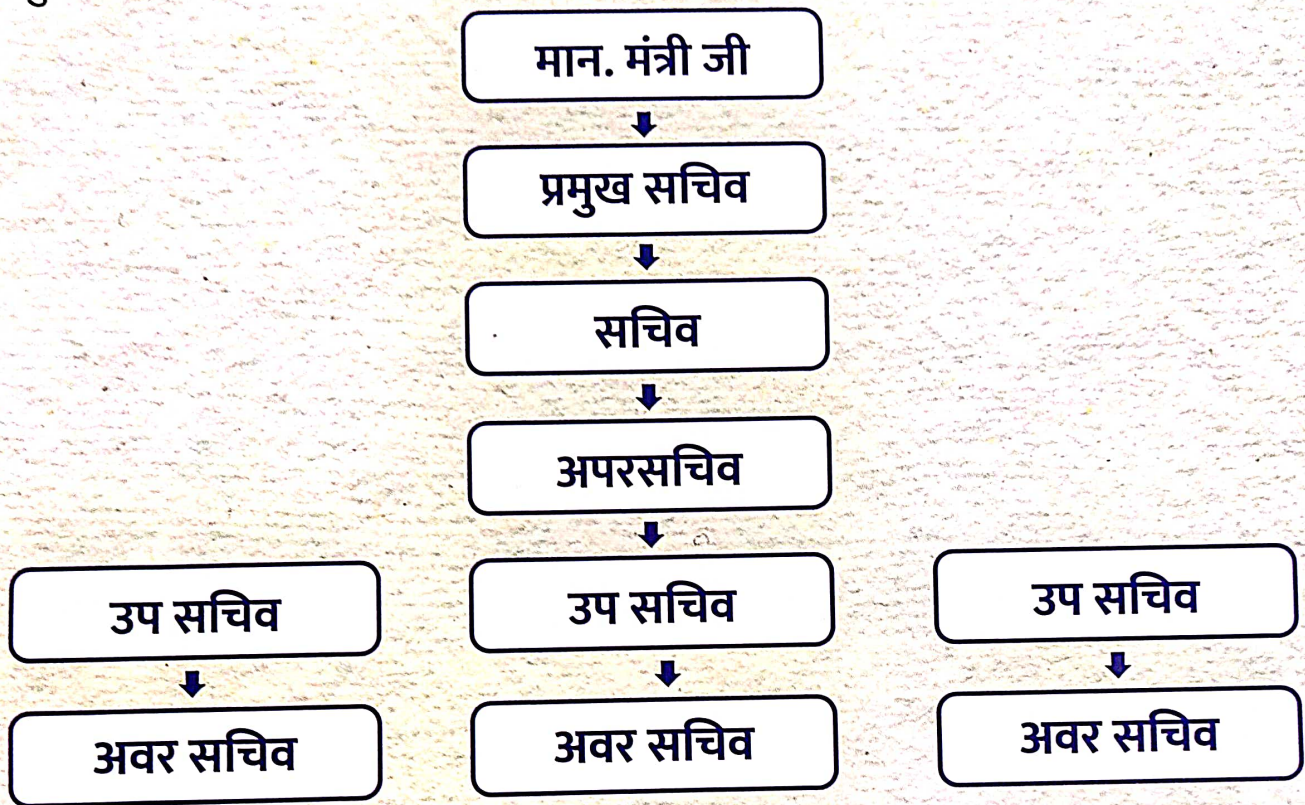
| क्रमांक<br>(1) | विषय<br>(2)                              | पृष्ठ संख्या<br>(3) |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1              | राजस्व विभाग की संरचना                   | 01 - 04             |
| 2              | राजस्व मण्डल                             | 05 - 15             |
| 3              | आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त           | 16 - 37             |
| 4              | प्रमुख राजस्व आयुक्त                     | 38 - 53             |
| 5              | राहत आयुक्त कार्यालय                     | 54 - 63             |
| 6              | पुनर्वास आयुक्त                          | 64 - 68             |
| 7              | नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 69 - 73             |
| 8              | भूमि सुधार आयोग                          | 74 - 81             |



## राजस्व विभाग

### राजस्व विभाग की संरचना

राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री के अधीन है, जिनकी सहायता के लिए सचिवालय स्तर पर 1 प्रमुख सचिव पदस्थ हैं, विभाग में 2 सचिव, 3 उप-सचिव, 3 अवर सचिव पदस्थ हैं, राजस्व विभाग को सौंपे गए उत्तरदायित्व के लिए विभाग में कुल 8 शाखाएं कार्यरत हैं,



### विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय

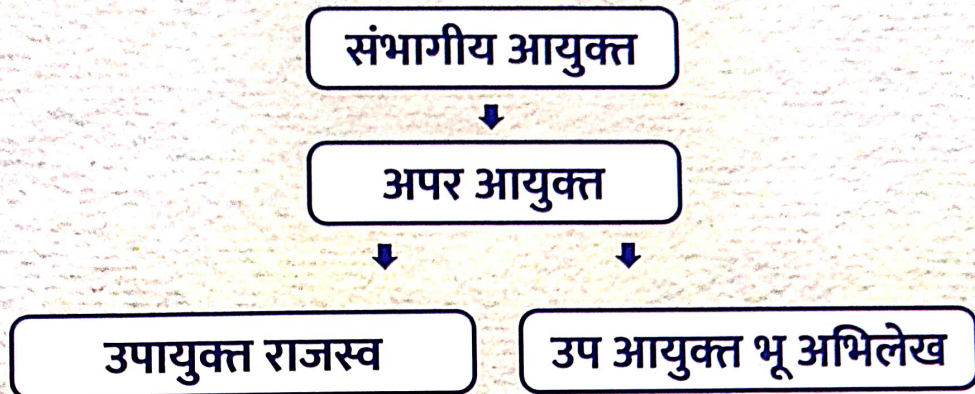
राजस्व विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिए विभाग में निम्नानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालयों की स्थापना की गई है-

- (1) मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- (2) प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश
- (3) राहत आयुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश
- (4) पुनर्वास आयुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश
- (5) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- (6) नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल, मध्यप्रदेश

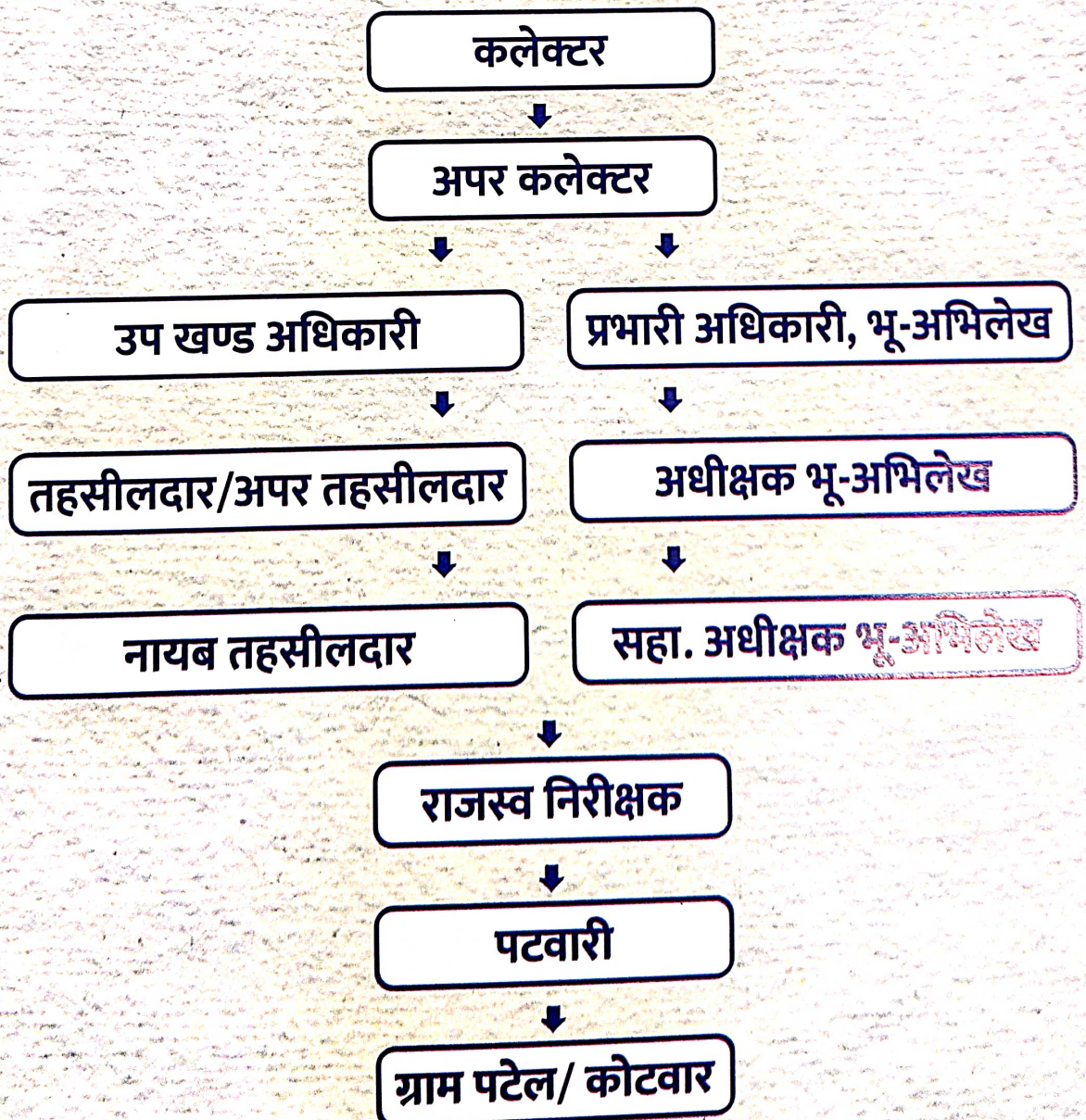


राजस्व विभाग की मैदानी स्तर पर संरचना इस प्रकार है-

संभाग स्तर पर



जिला स्तर पर





## संभाग एवं जिले -

| क्र. | संभाग     | संभाग में सम्मिलित जिले                                                  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | चम्बल     | भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर                                                |
| 2.   | ग्वालियर  | ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर                               |
| 3.   | इंदौर     | इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर      |
| 4.   | उज्जैन    | उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच एवं आगरमालवा                 |
| 5.   | भोपाल     | भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा                                  |
| 6.   | होशंगाबाद | होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल                                                |
| 7.   | सागर      | सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी एवं टीकमगढ़                           |
| 8.   | रीवा      | रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली                                            |
| 9.   | जबलपुर    | जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डौरी |
| 10.  | शहडोल     | शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया                                                |

संभाग स्तर पर राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है। उनकी सहायता के लिये शासन द्वारा एक या एक से अधिक अपर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग का प्रतिनिधि जिला-कलेक्टर रहता है, जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर एवं अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पदस्थ रहते हैं। ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के रूप में परिभाषित किये गये हैं और उन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं।



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

### मध्यप्रदेश राज्य

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01-11-1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें:-

- 1- पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
- 2- मध्यभारत
- 3- विन्ध्यप्रदेश
- 4- भोपाल तथा
- 5- राजस्थान का सिरोज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि तथा विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून/अधिनियम लागू थे, जिन्हे लोप किया जाकर दिनांक 02-10-1959 से मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 को लागू किया गया।

### 2- वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार है:-

| क्र. | संभाग      | जिले                                                               |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | चंबल       | भिण्ड, मुरैना और श्योपुर                                           |
| 2    | ग्वालियर   | ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर                          |
| 3    | इन्दौर     | इन्दौर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन और बुरहानपुर |
| 4    | उज्जैन     | उज्जैन, आगर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और शाजापुर                 |
| 5    | भोपाल      | भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा                             |
| 6    | नर्मदापुरम | होशंगाबाद, हरदा और बैतूल                                           |
| 7    | सागर       | सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी                      |
| 8    | रीवा       | रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली                                       |



9 जबलपुर जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और डिंडोरी

10 शहडोल शहडोल, अनूपपुर और उमरिया

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं। उनकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिए अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं ये सभी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी परिभाषित किये गये और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं।

### राजस्व मण्डल पृष्ठभूमि एवं गठन

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रांत तथा बरार, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश क्षेत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था, जबकि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नहीं थी। इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को 01-11-1956 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई। राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाये जाते हैं जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है।

### स्वतंत्र व निष्पक्ष

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-3 के अंतर्गत राजस्व मण्डल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते हैं। मण्डल के अध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाईम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते हैं। इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है। न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्ष व शासन तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई हैं।



## मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रभाव

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन का राजस्व मण्डल पर प्रभाव निम्नानुसार है :-

- 1- राजस्व मण्डल की नियम बनाने की शक्तियां वापस ली गई ।
- 2- राजस्व मण्डल की आयुक्त/अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेशों का पुनरीक्षण सुनने के अधिकार समाप्त किये गए हैं ।
- 3- मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी का अधिकार हटाया गया है ।

### कर्तव्य एवं शक्तियां

मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है:-

राजस्व मण्डल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी है। इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये हैं :-

- 1- धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां
- 2- धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति
- 3- धारा 44 के अधीन अपीलें सुनने की शक्ति
- 4- धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति
- 5- धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल की हैसियत से मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है :-

- 1- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) अंतर्गत बने अपील नियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार ।
- 2- मुद्रांक अधिनियम 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक, प्राधिकारी की शक्तियां।
- 3- मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ बार्डस एक्ट, 1899 की धारा 12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिए गये हैं।



4- मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4 (3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिए गये हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त हैं।

### अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27-03-1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिये हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा 4(-) के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को "पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है।

### मण्डल का सचिवालय

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई०ए०एस०) संवर्ग के अधिकारी हैं। उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं।

|                     |   |
|---------------------|---|
| अवर सचिव            | 2 |
| अनुभाग अधिकारी      | 2 |
| सहा० अनुभाग अधिकारी | 2 |
| स्टॉफ ऑफिसर         | 1 |
| लेखाधिकारी          | 1 |

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत हैं। वर्तमान में मण्डल में कुल 115 पदों के विरुद्ध कुल 70 कर्मचारी कार्यरत हैं।



## मण्डल के कार्य/उपलब्धि

- 1- राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी पद्धति से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं ।
- 2- राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है। वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित चार पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है। जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 44 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है । यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार सर्किट कोर्ट प्रकरणों की सुनवाई करें । इससे जहां एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने- जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्चे से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।
- 3- इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय में दायर प्रकरणों को कम्प्यूटराईज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध हो पा रही है साथ ही प्रकरण में हुये आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल आदि पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है।



- 4- राजस्व मण्डल को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों एवं कार्यालयीन/न्यायालयीन रख-रखाव हेतु ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेट न0 17DQBV17 दिनांक 26-07-2017 भी प्रदाय किया गया है।
- 5- राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहां एक ओर प्रयास किये गये हैं कि मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कम से कम 70 एवं इससे अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते हैं। इसी उद्देश्य से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणों की सुनवाई युगलपीठ या पूर्ण पीठ के द्वारा करने का प्रावधान है।
- 6- राजस्व मण्डल के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को Website/App पर उपलब्ध कराया जा रहा है व पुराने आदेश का Lamination & Digitization कराया जा रहा है।
- 7- **आरसीएमएस सॉफ्टवेयर के संबंध में:-** राजस्व मंडल मध्यप्रदेश में आरसीएमएस सॉफ्टवेयर का आरंभ माह जून-जुलाई, 2018 में किया गया। राजस्व मंडल का आरसीएमएस सॉफ्टवेयर अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आरसीएमएस सॉफ्टवेयर से भिन्न है क्योंकि इस न्यायालय की कार्यशैली अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से अलग है।
- राजस्व मंडल हेतु निर्मित आरसीएमएस में राजस्व मंडल में प्रचलित पूर्व वर्षों के लंबित सभी प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जा चुकी है। वर्तमान में जो भी नवीन प्रकरण राजस्व मंडल में आता है उसकी पहले आरसीएमएस में प्रविष्टि की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रकरण नंबर जनरेट किया जा रहा है। जिनके प्रकरण क्रमांक संबंधित द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः भेजे जाते हैं।
- मंडल के प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई किये जा रहे प्रकरणों की वाद सूची आरसीएमएस में अपडेट की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की वाद सूची के साथ



प्रोसिडिंग्स/अंतरिम आदेश भी स्कैन करके आरसीएमएस पर अपलोड किये जा रहे हैं जिससे आमजन प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि तो ज्ञात कर ही सकता है साथ ही प्रकरण में उसकी तारीख पर क्या सुनवाई हुई उसकी जानकारी भी ऑनलाईन देख सकता है एवं उसका प्रिन्ट भी निकाल सकता है ।

राजस्व मंडल के प्रकरणों में पारित सभी अंतिम आदेशों को आरसीएमएस पर अपडेट किया जा रहा है । वर्तमान में राजस्व मंडल में पारित सभी आदेश आरसीएमएस पर उपलब्ध हैं। भविष्य में शीघ्र ही राजस्व मंडल के आदेशों को डिजिटल साईन के माध्यम से अपलोड कराने की व्यवस्था भी की जा रही है ।

- 8- **अभिलेखागार का डिजिटাইजेशन :-** राजस्व मंडल द्वारा मंडल के अभिलेखागार के डिजिटাইजेशन का कार्य कराया जा रहा है जिसमें आरसीएमएस डिजिटल साईन आरंभ होने से पूर्व के सभी आदेश स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किये जा रहे हैं । इस सॉफ्टवेयर की लिंक भी आरसीएमएस के पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है।
- 9- **न्यायालयीन प्रकरणों की ऑनलाईन सुनवाई:-** कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के पश्चात् कार्यालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई की गई। वर्तमान में समक्ष में सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई भी जारी है।
- 10- **नवीन राजस्व भवन:-** राजस्व मण्डल के नवीन कार्यालय संयुक्त राजस्व भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। माह मई 2021 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है, तद्उपरांत राजस्व मण्डल नवीन भवन से कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही करेगा ।
- 11- **संभागीय मुख्यालय:-** न्यायालयीन सुनवाई के सुदृढीकरण के क्रम में जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, सागर, रीवा पर स्थित सर्किट कोर्ट पर पृथक से कैप कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में न्यायिक प्रकरणों का संस्थान एवं निर्णय दर्शाने वाला  
माह 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक पत्रक

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

| क्र० | 31 मार्च 2020 को<br>प्रारंभिक<br>विचाराधीन<br>प्रकरणों की<br>संख्या | 01 अप्रैल<br>2020 से 31<br>जनवरी 2021<br>तक दायर<br>प्रकरणों की<br>संख्या | 01 अप्रैल<br>2020 से 31<br>जनवरी 2021<br>तक कुल<br>प्रकरणों की<br>संख्या | 01 अप्रैल<br>2020 से 31<br>जनवरी 2021<br>तक निर्णीत<br>प्रकरण | 31 जनवरी<br>2021 को शेष<br>प्रकरणों की<br>संख्या |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 9176                                                                | 395                                                                       | 9571                                                                     | 324                                                           | 9247                                             |



कार्यालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(आंकड़े हजार रुपये में)

बजट व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20

| क्र०                       | योजना का नाम | वर्ष 2019-20 का प्रावधान<br>(पुनरीक्षित) | वर्ष 2019-20 का<br>व्यय |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 2052-099-3657 राजस्व बोर्ड |              |                                          |                         |
| 1                          | भारित        | 11224                                    | 11191                   |
| 2                          | मतदेय        | 46221                                    | 46190                   |

बजट व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21

| क्र०                       | योजना का नाम | वर्ष 2020-21 का प्रावधान | वर्ष 31 जनवरी 21<br>तक का व्यय |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2052-099-3657 राजस्व बोर्ड |              |                          |                                |
| 1                          | भारित        | 18800                    | 8806                           |
| 2                          | मतदेय        | 60156                    | 37549                          |

लेखाधिकारी

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर



**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**  
**राजस्व मण्डल के स्वीकृत पदों की जानकारी**  
**दिनांक 01-04-2020 की स्थिति में**

| पदनाम                | स्वीकृत पद | स्थाई     | अस्थाई   | भरे पद    | रिक्त पद  |
|----------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1                    | 2          | 3         | 4        | 5         | 6         |
| अध्यक्ष              | 1          | 1         | 0        | 1         | 0         |
| प्रशासकीय सदस्य      | 1          | 1         | 0        | 1         | 0         |
| सदस्य                | 3          | 3         | 0        | 1         | 2         |
| सचिव                 | 1          | 1         | 0        | 1         | 0         |
| अवर सचिव             | 2          | 0         | 2        | 0         | 2         |
| स्टॉफ ऑफिसर          | 1          | 1         | 0        | 1         | 0         |
| लेखाधिकारी           | 1          | 1         | 0        | 1         | 0         |
| अनुभाग अधिकारी       | 2          | 2         | 0        | 1         | 1         |
| सहायक अनुभाग अधिकारी | 2          | 2         | 0        | 2         | 0         |
| सहायक वर्ग-1         | 10         | 8         | 2        | 5         | 5         |
| सहायक वर्ग-2         | 18         | 18        | 0        | 10        | 8         |
| वरिष्ठ निज सहायक     | 3          | 3         | 0        | 1         | 2         |
| निज सहायक            | 10         | 9         | 1        | 2         | 8         |
| दफ्तरी               | 1          | 1         | 0        | 0         | 1         |
| जमादार               | 7          | 7         | 0        | 4         | 3         |
| रिकार्ड लिफ्टर       | 1          | 1         | 0        | 0         | 1         |
| <b>योग</b>           | <b>64</b>  | <b>59</b> | <b>5</b> | <b>31</b> | <b>33</b> |



| सीधी भर्ती वाले पद           |     |     |    |    |    |
|------------------------------|-----|-----|----|----|----|
| ग्रन्थपाल                    | 1   | 0   | 1  | 0  | 1  |
| सहायक वर्ग-3                 | 12  | 12  | 0  | 10 | 2  |
| शीघ्र लेखक                   | 3   | 2   | 1  | 2  | 1  |
| स्टेनोग्राफिस्ट              | 5   | 5   | 0  | 5  | 0  |
| वाहन चालक                    | 7   | 0   | 7  | 4  | 3  |
| भृत्य                        | 31  | 28  | 3  | 24 | 7  |
| डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) | 6   | 0   | 6  | 0  | 6  |
| स्थाईकर्मि                   | 1   | 0   | 0  | 1  | 0  |
| सीधी भर्ती वाले पद का योग    | 66  | 47  | 18 | 46 | 20 |
| कुल योग                      | 130 | 106 | 23 | 77 | 53 |



## प्रस्तावना

राजस्व विभागान्तर्गत भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्ष आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय मोतीमहल, ग्वालियर में स्थित है। कार्यालय का मुख्य कार्य नक्शों/अभिलेखों को तैयार कराना तथा अद्यतन बनाये रखना हैं। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कलेक्टर भू-अभिलेख एवं अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख तथा आर.आई./पटवारी जिले का अमला संभाग स्तर पर उपायुक्त भू-अभिलेख कार्यालय संचालित है। जो जिलों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत सर्वे/री-सर्वे की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है। जिसके अन्तर्गत नगरेत्तर/नगरीय/आबादी के डिजिटल नक्शे तैयार कराये जाने की योजना है।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख एवं नक्शों का डिजिटাইजेशन कराया गया है। रिकॉर्ड को जिलों में व्यवस्थित रखने के लिये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाये गये हैं तथा अभिलेखों को डिजिटल फार्म में व्यवस्थित किया गया है। इनसे आम जन को रिकॉर्ड की नकल दी जाने की सुविधा दी गई है। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत लघु सिंचाई संगणना वर्षा संबंधी जानकारी, फसल बीमा योजना के कार्य किये जाते हैं। क्षेत्रीय अमले पटवारी/राजस्व निरीक्षक के कार्यालय सह-आवास योजना प्रचलित है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाये तथा नौ पटवारी प्रशिक्षण शालाये कार्यरत हैं। विभागीय वेबसाइट [www.landrecords.mp.gov.in](http://www.landrecords.mp.gov.in) उपलब्ध है।



## आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्य

### 1. भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण:-

#### 1.1 भू – अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण-

प्रदेश में भू-अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक प्रदेश के समस्त 56761 ग्रामों के लगभग 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नम्बरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिसमें सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल, भूमिस्वामी का नाम, स्वामित्व का प्रकार, पूर्ण पता, जाति, मिट्टी का प्रकार, भू-राजस्व, सिंचाई साधन, फसल का नाम, इत्यादि की जानकारी सम्मिलित है। उक्त डाटाबेस का निरन्तर अद्यतन तहसील स्थिति डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों के पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर्स के नियंत्रण में किया जा रहा है।

#### 1.2 कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन / अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज़ हेतु PPP Boot Model पर web-based GIS solution तैयार करना-

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज़ उपलब्ध कराने के लिए पी.पी.पी. बूट मॉडल पर वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन तैयार कराया जा कर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है, जिससे वास्तविक समय के अद्यतन अभिलेख नागरिकों को निर्धारित शुल्क पर घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं।



### 1.3 विभागीय वेबसाइट- :

प्रदेश का भू-अभिलेख बेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2007 से इसे विभागीय वेबसाइट पर होस्ट कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के सभी 52 जिलों की 424 तहसीलों का डाटा विभागीय वेबसाइट [www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in) पर उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा एवं नक्शा) के ऑनलाइन माडिफिकेशन / अपडेशन एवं सिटीजन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन के अन्तर्गत निम्नांकित मॉड्यूल तैयार करा लिए गए हैं-

- खसरा / बी-1 की प्रतिलिपियों के प्रदाय का मॉड्यूल
- खसरा अद्यतन / संशोधन मॉड्यूल (गिरदावरी)
- अभिलेख में अमल मॉड्यूल
- व्यपवर्तन मॉड्यूल
- नक्शा संशोधन / अद्यतन मॉड्यूल
- सुझाव एवं शिकायत (feedback & grievance module)

### 1.4 कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण:-

कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ किया गया है। कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मार्च, 2019 से मांग एवं भुगतान व्यपवर्तित भूमि एवं फरवरी, 2020 से मांग एवं भुगतान कृषि भूमि सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अगस्त, 2020 से राजस्व न्यायालय द्वारा



पारित आदश को प्रति एवं अभिलेखागारों के पुराने राजस्व अभिलेखों की प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रदायित भू-अभिलेख सेवाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है-

| वित्तीय वर्ष                                    | भू-अभिलेख सेवाओं की पृष्ठ / सेट संख्या | प्राप्त राजस्व (रुपयों में) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 2017-2018                                       | 38,50,010                              | 15,06,78,700                |
| 2018-2019                                       | 26,41,766                              | 6,22,97,567                 |
| 2019-2020                                       | 98,32,973                              | 21,79,36,211                |
| 2020-2021<br>(1 अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक) | 1,01,29,558                            | 23,33,15,664                |

### 1.5 तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण (Modernize) करना: -

अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण कार्य के अन्तर्गत, पूर्व से निर्मित अभिलेखागार भवन का रिनोवेशन / इलेक्ट्रिफिकेशन कर इनमें आई.टी. (सर्वर, कम्प्यूटर, एम.एफ.डी., यू.पी.एस. आदि) एवं नॉन-आई.टी. उपकरण (कॉम्पेक्टर, मैप केबिनेट, एंगल रैक, एयर कण्डीशनर आदि) स्थापित कराए जा रहे हैं। आधुनिक कॉम्पेक्टर में पुराने अभिलेखों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग, बारकोडिंग, इन्डेक्सिंग, टैगिंग आदि करायी जा कर, डिजिटल डॉक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनके संधारण एवं नकल उपलब्ध कराने की कार्यवाही तहसील अभिलेखागारों द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। अगस्त,



2020 से अभिलेखागारों के स्वेज्न किए गए अभिलेख वेब जी.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं।

49 जिलों की 332 तहसीलों के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण पूर्ण किया गया। 49 जिलों में अभी तक बन्दोबस्त अभिलेखों के 3,17,27,050 पृष्ठों की स्केनिंग कर ली गई है। कार्य पूर्ण जिलों में बन्दोबस्त के अभिलेख की प्रतिलिपि किसानों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही है।

द्वितीय चरण में विभाग द्वारा 15 करोड़ दस्तावेज को डिजिटाइज करने हेतु एजेंसी का चयन किया जा चुका है तथा डिजीटाईजेशन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 20-21 में लगभग 05 करोड़ दस्तावेज डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है एवं अगले तीन वर्षों में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

#### **1.6 [www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in) को राज्य शासन का अधिकृत पोर्टल घोषित कराया जाना -**

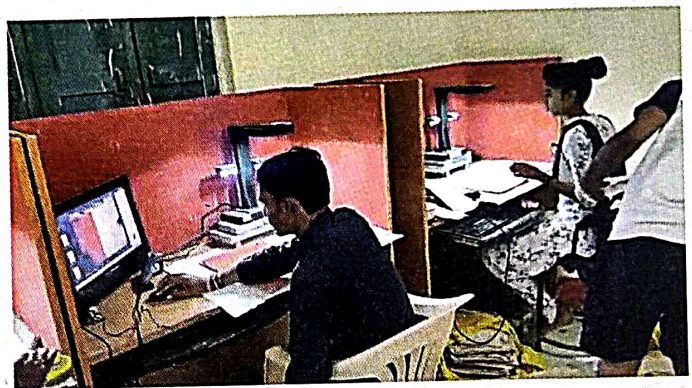
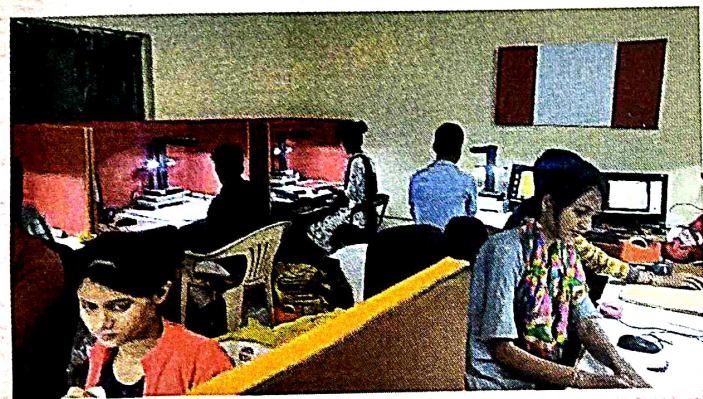
म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के परिप्रेक्ष्य में भू-अभिलेखों के संधारण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित भू-लेख पोर्टल [www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in) को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2-2-2020-सात-शा-7, दिनांक 10/07/2020 द्वारा राज्य सरकार का अधिकृत पोर्टल घोषित किया गया है।

#### **1.7 भूमि के नक्शों का डिजिटाइजेशन -**

प्रदेश के 52 जिलों में उपलब्ध करायी गई 137084 मैपशीटों का डिजीटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है, तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट [www.landrecords.mp.gov.in](http://www.landrecords.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।



तत्समय नक्शा-विहीन, जीर्णशीर्ण होने से डिजीटाईजेशन से शेष एवं मूल ग्रामों से पृथक कर बनाए गये मज़रा टोलों की लगभग 8000 मैपशीटों में से 7477 मैपशीटों का डिजीटाईजेशन मैप आई. टी. के द्वारा कर लिया गया है। डिजीटाईजेशन से शेष मैपशीटों का डिजीटाईजेशन मैप आई. टी. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी ग्राम डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो जायेंगे तथा इनका अपडेशन एवं रखरखाव आसान हो सकेगा।



### 1.8 भूमि बंधक मॉड्यूल द्वारा किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने की सुविधा,

सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी कृषक खातेदारों को कृषि ऋण आसानी से प्रदान किये जावे। कृषि ऋण प्रदाय किये जाने पर सम्बंधित भूमि पर बंधक दर्ज करना अनिवार्य होता है, बंधक दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और बंधक दर्ज करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसके तहत -

- 31 से अधिक बैंकों को ऑनलाइन बंधक दर्ज करने की सुविधा से जोड़ा गया है।
- आवेदक तथा उस के खाते की भूमि की प्रमाणिकता के लिए बैंक अपने लॉगइन (webGIS) से कृषक के खाते की भूमि की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगे, तथा ऋण प्रदाय करने सम्बन्धी



निर्णय के उपरांत बैंकयूजर अपने तथा कृषक के आधार e-KYC आधारित आवेदन WebGIS के माध्यम से सम्बन्धित हल्के के पटवारी को भेज सकते हैं।

- भू बंधक पोर्टल द्वारा पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा रहा है एवं भू स्वामियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- आज तक लगभग 1लाख 86 हजार से अधिक कृषि खातों पर बंधक ऑनलाइन दर्ज किया गया है।

### 1.10 ऑनलाइन व्यपवर्तन (डायवर्सन) मॉड्यूल द्वारा डायवर्सन की सुविधा -

डायवर्सन की प्रक्रिया को और अधिक नागरिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान कराई गई है। अब नागरिकों द्वारा सिर्फ पोर्टल पर कैलकुलेट की गई राशि को जमा करके डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है,

- डायवर्सन की राशि को पेमेंट गेटवे की मदद से ट्रेजरी में ऑनलाइन चालान द्वारा जमा किया जा सकता है।
- ऑनलाइन डायवर्सन की सूचना देने मात्र से ही भूमि डाइवर्टेड मानी जाएगी।
- अब बिना सूचना किये गए निर्माण हेतु भी बिना सूचना डायवर्सन मॉड्यूल की सहायता से पेनाल्टी एवं डायवर्सन की राशि जमा कर डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है।
- डायवर्सन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऑनलाइन ही नक्शे एवं खसरे को अपडेट कर दिया जाता है।
- माह जनवरी 2021 तक ऑनलाइन डायवर्सन के लगभग 48 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।



### 1.11 रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) एप्लीकेशन -

#### नामांतरण एवं बंटवारे की सेवाएं ऑनलाइन -

नामांतरण एवं बंटवारे की प्रक्रियाओं को एकदम सरल कर पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिससे की आसानी से प्रकरणों का निराकरण एवं उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जा सके | पटवारी प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही हैं |

- RCMS पोर्टल द्वारा घर से ही ऑनलाइन नामांतरण एवं बंटवारा के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं |
- इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों जैसे लोक सेवा केंद्र, एम् पी ऑनलाइन एवं तहसील में स्थापित आईटी सेंटर्स की मदद से भी नामांतरण एवं बंटवारा के आवेदन को प्रस्तुत किया जा सकता है |
- आवेदनकर्ता को आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS द्वारा भी पहुंचाई जाती है |
- जनवरी, 2021 तक लगभग 70 लाख राजस्व प्रकरणों को RCMS पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया गया है एवं उनका निराकरण किया जा रहा है |

### 1.12 फसल गिरदावरी का कार्य प्रभावी ढंग से करने हेतु प्रदेश में सारा एप का उपयोग,

पूर्व में प्रदेश स्तर पर फसल का डाटा संकलन करने में 06 महीनों से अधिक समय लग जाता था उसके उपरांत भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी | आज की स्थिति में सारा एप के माध्यम से एक महीने में ही फसल गिरदावरी कर पूरे प्रदेश का डाटा 01 महीने में ही सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध हो पा रहा है तथा उस डाटा पर उपलब्ध डैशबोर्ड की सहायता से एनालिसिस भी करने में सक्षम हैं |



इस डाटा का उपयोग उपार्जन मंडी एवं अन्य विभागों के साथ ही कृषि सम्बंधित सांख्यिकी में किया जा रहा है।

सारा एप में मुख्य रूप से -

- एकीकृत यूजर प्रणाली (WebGIS) के माध्यम से एप में लॉगिन किया जा सकता है।
- लॉगिन उपरांत पटवारी द्वारा निम्नानुसार कार्य किए जा सकते हैं -
- फसल की जानकारी भरना
- डायवर्सन संबंधी जानकारी अंकित करना
- फसल क्षति की जानकारी भरना
- किसान द्वारा भरी फसल की जानकारी एप्रूव/रिजेक्ट करना
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा गिरदावरी हेतु लॉगिन

### 1.13 राजस्व विभाग की सेवाओं का एम्. पी. ऑनलाइन एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदा किया जाना

नागरिक सेवाओं का प्रभावशाली ढंग से नागरिकों तक पहुँचाया जा सके, इस हेतु राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने हेतु एम्. पी. ऑनलाइन एवं लोक सेवा केन्द्रों को जोड़ा गया जिससे कि ऑनलाइन कियोस्क की मदद से भी आसानी से राजस्व विभाग की सेवाओं को प्रदा किया जा रहा है।

### 1.14 CORS (Continuously Operating Reference Station) प्रणाली को सम्पूर्ण राज में स्थापित करने हेतु सर्वे ऑफ़ इंडिया के साथ MoU

विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें सीमांकन समय पर ना होने की प्राप्त होती थी इसका मुख्य कारण जरीब एवं (ETSM) इलेक्ट्रॉनिकल टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन में लगने वाल समय था, इसके अतिरिक्त खड़ी फसल में भी सर्वे कर पाना बहुत मुश्किल था।



- कोर्स तकनीक में रोवर ( मोबाइल डिवाइस ) की सहायता से बहुत ही कम समय में एवं सटीकता से सर्वेक्षण कर इन दोनों कमियों को दूर किया जा सकेगा साथ ही सम्पूर्ण राज्य का भू स्थानिक डाटा एक ही प्लेटफार्म पर संधारित हो सकेगा ।
- CORS नेटवर्क के उपयोग से किसी भी मौसम या परिस्थिति में सीमांकन / मानचित्रण शुद्धता के साथ किया जा सकता है।
- CORS नेटवर्क के उपयोग से खेत में खड़ी फसल में भी सीमांकन / मानचित्रण किया जा सकता है।
- CORS Network के उपयोग से भविष्य में GNSS Chip के साथ स्मार्ट फोन / मोबाइल पर लोड किए गए ऐप से भी सीमांकन संभव हो सकेगा।
- CORS नेटवर्क की स्थापना हेतु सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा क्रियान्वयन ऐजेंसी का चयन कर लिया गया है एवं चार पायलट जिले - भोपाल, हरदा, सीहोर एवं देवास में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।
- जून 2021 तक प्रदेश के सभी जिलों में CORS नेटवर्क की स्थापना किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

### 1.15 पटवारियों को लैपटॉप के साथ ई-बस्ता का प्रदाय किया जाना

पूर्व में पटवारियों को अपने बस्ते में 20 तरह के दस्तावेज रखने होते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है इसके उपरांत पटवारियों को अब केवल 07 पंजियाँ रखनी होती हैं उसमें भी सिर्फ नक्शे की प्रति छोड़कर सब ऑनलाइन पंजियां हैं। इससे पटवारियों का बोझ बहुत कम हुआ है।



पटवारियों द्वारा भू-अभिलेखों (खसरा, नक्शा, बी-1) का कम्प्यूटाइज्ड डाटा बेस रियल टाइम में अद्यतन करने हेतु भी लैपटॉप की आवश्यकता हैं, इस हेतु पटवारियों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 6000 पटवारियों को लैपटॉप वितरण किये जा रहे हैं।
- दिनांक 09 फरवरी 2021 तक लगभग 700 पटवारियों द्वारा लैपटॉप क्रय कर लिए गए हैं एवं इनमें से लगभग 500 पटवारियों को भुगतान किया जा चुका है एवं शेष भुगतान की प्रक्रिया भी विभाग द्वारा शीघ्र की जा रही है।
- लैपटॉप क्रय करने के लिये अधिकतम लागत सीमा रुपये 50000/- के मान से राशि प्रत्येक पटवारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
- लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने की योजना चरणबद्ध तरीके से तीन/चार वर्ष में पूर्ण कर ली जायेगी तथा योजना पर कुल राशि रुपये 85.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

### **1.16 आबादी क्षेत्रों का सर्वे एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना**

राजस्व विभाग द्वारा आबादी क्षेत्र का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख भी तैयार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नागरिकों के पास अपनी संपत्ति का अधिकार अभिलेख हो एवं वे आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें। संपत्ति को खरीदना-बेचना भी अब बहुत आसान होगा। सर्वे का कार्य सीहोर, डिंडोरी एवं हरदा जिले से प्रारंभ हो चुका है एवं 02 अक्टूबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन जिले के 50 ग्रामों के नागरिकों को अधिकार अभिलेख वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया।

- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में यह प्रावधान किया गया कि आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण सरकार द्वारा कराया जावेगा तदनुसार आबादी का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं।



- दिन-प्रतिदिन नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। किन्तु आबादी क्षेत्रों में आबादी का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण, बिक्री, सीमांकन आदि के विवाद एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होते रहते हैं। अतः आवश्यक था कि इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर 1:500 scale में नक्शा बनाया जाकर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये।
- आबादी सर्वे के तहत प्रथम वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 जिलों के लगभग 22500 ग्राम एवं तीन वर्षों के भीतर सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामों का सर्वे कर अधिकार अभिलेख वितरित किये जायेंगे।





- आज दिनांक तक लगभग 2099 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई कर आबादी सर्वे कर 1234 ग्रामों का नक्शा तैयार कर लिया गया है, एवं 341 ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाकर 38473 भू-स्वामियों के अधिकार अभिलेख तैयार कर लिए गये।

(SoI द्वारा ड्रोन सर्वे के बाद का नक्शा)  
ग्राम -पिटारी माल, जिला-डिंडोरी



### 1.17 पटवारियों को सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर सेवाएं देने का आदेश

- प्रत्येक पटवारी अपने हल्के की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा एवं राजस्व विभाग की सेवाएं प्रदान कर एवं आमजन की कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु उपलब्ध रहेगा।
- जिन पटवारियों के पास दो हल्के हैं वो एक एक दिन ग्राम पंचायत में अपनी सेवाएं देंगे
- नियत दिवसों में पटवारी को ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा, इन दिवसों पटवारी को समीक्षा बैठकों में नहीं बुलाया जायेगा न ही अन्य कार्यों में लगाया जायेगा।



### 1.18 सर्वे-रिसर्वे के तहत वर्तमान भूमि के नक्शों का GIS बेस्ड डिजिटाइज्ड नक्शों में परिवर्तित किया जाना

भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सर्वे री-सर्वे का कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। सर्वे री-सर्वे कार्य के अंतर्गत वर्तमान वास्तविक स्थिति अनुसार नक्शों को अद्यतन किया जा रहा है।

- सर्वे-रिसर्वे की आवश्यकता -
  - ✓ वर्तमान नक्शे Geo-Referenced नहीं हैं
  - ✓ वर्तमान नक्शों में नक्शा, मौका एवं खसरा में विसंगति हैं
  - ✓ वर्तमान नक्शे काफी पुराने होने से गुणवत्ता में कमियां हैं
- इससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा आमजन की व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जा सकेगा।
- मौका, नक्शा, खसरा, में समानता होने से टाइटल पंजीयन के लिए सुविधा होगी।
- सर्वे-रिसर्वे हेतु सेटेलाइट इमेज का क्रय एवं ऑर्थो रेक्टिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है।
- फीचर एक्सट्रैक्शन का कार्य 01 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ किया जायेगा
- अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में सर्वे-रिसर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

इस कार्य हेतु अनुमानित व्यय **रूपये 293 करोड** में से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत **228.54 करोड** का उपयोग किया जायेगा तथा शेष राशि **रूपये 64.46 करोड** की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

**1.19 पीएम किसान योजना :-** भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर - 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत कृषकों को



वर्ष में 03 समान किशतों में कुल राशि 6000/- का भुगतान किया जाता है। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अब तक लगभग सतहत्तर लाख किसानों को राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है तथा कृषकों को लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा है।

पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 78 लाख किसानों को इस वित्तीय वर्ष 5474.42 करोड़ राशि का वितरण किया गया है।

### 1.20 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2020 से "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" के प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में दो (02) समान किशतों में कुल राशि 4000/- का भुगतान किसानों को किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली दो (02) समान किशतों में से प्रथम किशत का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य तथा द्वितीय किशत का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर से 31 मार्च के मध्य किया जायेगा।

इस योजना की पहली किस्त के तहत 25-26 सितम्बर 2020 को 7.5 लाख किसानों को रु. 150 करोड़, 02 नवम्बर 2020 को 5 लाख किसानों को रु. 100 करोड़, 03 दिसम्बर 2020 को 05 लाख किसानों को 100 करोड़, 30 जनवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 37.50 लाख किसानों को रुपये 750 करोड़ का भुगतान योजनान्तर्गत किया जा चुका है।



## 2. मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना व अधिकार अभिलेख बनाना-

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा क्रमांक ए-0969 दिनांक 29.10.2010 को मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने की घोषणा की गई।

घोषणा के अनुपालन में मूल एवं पृथक नवीन घोषित राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख बनाये जाने हेतु अभी तक 666 मूल ग्रामों तथा 776 पृथक नवीन राजस्व ग्रामों की अधिसूचना शासन द्वारा जारी की गई।

अद्यतन स्थिति अनुसार कुल अधिसूचित ग्रामों में से 544 मूल ग्रामों एवं 623 नवीन ग्रामों के पृथक-पृथक अधिकार अभिलेख तैयार कराये जा चुके हैं। तथा 122 मूल ग्रामों एवं 153 नवीन ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार कराये जाने का कार्य जिलों में प्रचलित है।

## 3. मध्यप्रदेश भू- अभिलेख प्रबंधन समिति का गठन-

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लैण्ड रिकाइर्स मार्टनाईजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के implementation एवं execution हेतु त्रिस्तरीय PMU/"म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति" का गठन एक सोसायटी के रूप में दिनांक 05.09.2011 को कराया गया है। समिति का पंजीयन क्रमांक 02/42/01/15278/11 है तथा स्वरूप निम्नानुसार है-

| समिति का नाम                      | स्वरूप                                           | उद्देश्य                                             | गठन का आदेश                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शासी निकाय<br>(Governing<br>Body) | मुख्य सचिव<br>म.प्र. शासन<br>की अध्यक्षता<br>में | राज्य स्तर पर<br>योजना की<br>मॉनीटरिंग एवं<br>रिव्यू | समिति के गठन का<br>प्रस्ताव, मेमोरेण्डम एवं<br>नियमावली का मान<br>मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक<br>12.7.2011 को अनुमोदित |



| समिति का नाम                             | स्वरूप                                                              | उद्देश्य                                                  | गठन का आदेश                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यकारी समिति<br>(Executive Body)      | प्रमुख सचिव,<br>म.प्र. शासन,<br>राजस्व विभाग<br>की अध्यक्षता<br>में | राज्य स्तर पर<br>योजना का<br>क्रियान्वयन एवं<br>मॉनीटरिंग | म.प्र. शासन, राजस्व<br>विभाग के आदेश क्रमांक<br>एफ 2-14/2011/सात-6,<br>दिनांक 13.1.2012 द्वारा    |
| कार्यान्वयन समिति<br>(Implementing Body) | कलेक्टर की<br>अध्यक्षता में                                         | जिला स्तर पर<br>योजना की<br>क्रियान्वयन एवं<br>मॉनीटरिंग  | म.प्र. शासन, राजस्व<br>विभाग के आदेश क्रमांक<br>एफ 2-14/2011/सात-6,<br>दिनांक 13.1.2012<br>द्वारा |

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठकों का आयोजन मान. मु. सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया जा रहा है। जनवरी 2021 तक शासी निकाय की बैठक एवं कार्यकारी समिति की 6 बैठक आयोजित की गई हैं।

#### 4. सांख्यिकीय

1. लघु सिंचाई संगणना- आगामी वर्ष के कार्य हेतु यह योजना सासा कृषि विभाग को सौंपी गई

2. सामान्य सांख्यिकी शाखा- सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु

फसल प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 प्राप्त होकर उनका सारणीकरण कार्य पूर्ण कर प्रकाशन तैयार

लिये गये है। शीघ्र ही कार्यालय की वेबसाइट पर [WWW.Landrerecords.mp.gov.in](http://WWW.Landrerecords.mp.gov.in)

होस्ट कर दी जावेगी।



3. **थोकभाव-** कृषि जन्य पदार्थों के प्रत्येक वर्ष के थोक भाव सूचकांक वर्ष 2019-20 तक विभागीय वेबसाइट पर [WWW.Landrecords.mp.gov.in](http://WWW.Landrecords.mp.gov.in) पर होस्ट कराई गई है। संबंधितों को मांगने पर समय-समय पर वेबसाइट की जानकारी से अवगत कराया जाता है तथा मांगने पर संबंधितों को उपलब्ध कराई जाती है।

4. **स्थानीय भाव-** प्रक्षेत्रीय भाव का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (कृषि माह जुलाई से जून तक) प्रगति के आधार पर तैयार कर कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 13-08-2020 में भेजा गया है।

5. **ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी की जानकारी-** ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी के प्रतिवेदन सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को समय पर भेजे जाते हैं तथा माह दिसम्बर वर्ष 2020 का भेजा जा चुका है।

6. **वर्षा संबंधी जानकारी-** साप्ताहिक वर्षा विवरण अक्टूबर 2019 में जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्यस्तरीय जानकारी तैयार कर संबंधितों को भेजी गई है। वर्ष 2020 वर्षा मौसम में एक जून से 14-10-2020 की साप्ताहिक वर्षा संबंधितों को भेज दी गई है। यह विवरण प्रति वर्ष एक जून से 15 अक्टूबर के बीच सप्ताहों में भेजा जाता है।

7. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर:-** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, तुअर, बाजरा, मक्का तथा मौसम रबी में गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई, सरसों, फसल कटाई प्रयोग चुने पटवारी हल्कों में चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर या अधिक के पटवारी हल्कों को अधिसूचित किया जाता है। पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कम्प्यूटराईजेशन जिला



कलेक्टर के अधिनस्थ अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा औसत पैदावार की जानकारी बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर पर मौसम खरीफ रबी वर्ष 2020-21 अधिसूचना कृषि विभाग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है। मौसम खरीफ 2020-21 की औसत पैदावार की जानकारी जिला अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा तैयार की जा रही है।

8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( जिला स्तरीय) मौसम खरीफ फसल मूंग, उड़द तथा मौसम रबी फसल मसूर हेतु वर्ष 2020-21 अधिसूचित किये गये हैं।

9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहसील स्तरीय - फसल बीमा योजना तहसील स्तर के उक्त तहसीलों में लागू है। जिसमें चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 500 हेक्टर या अधिक है। वर्तमान में खरीफ के अंतर्गत ज्वार, तिल, कोदो, कुटकी, मूंगफली, कपास तथा रबी के अंतर्गत फसल अलसी में उक्त योजना लागू है। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े सासा कृषि विभाग द्वारा तैयार कर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते हैं।

## 5. परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित जानकारी

| क्र. | प्रशिक्षण संस्थान का नाम                        | जिला     | प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम | प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | वर्ष 2016-17                | विवरण                              |
|------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1    | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर | ग्वालियर | पटवारी                     | 58                          | 01/12/2020 से 30/05/2021    | 06 माह की अवधि का पटवारी प्रशिक्षण |
| 2    | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर | ग्वालियर | पटवारी जिला भिण्ड          | 15                          | 01/12/2020 से 30/08/2021 तक | प्रशिक्षण प्रचलित                  |



|   |                                                       |                 |                                                                        |     |                                   |                                            |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 3 | राज्य स्तरीय<br>प्रशिक्षण संस्थान<br>महलगांव ग्वालियर | SLTI<br>Gwalior | नायब<br>तहसीलदार,<br>सहायक<br>अधीक्षक भू-<br>अभिलेख,<br>1-उपजिलाध्यक्ष | 45  | 18/01/2021 से<br>29/01/2021<br>तक | परीक्षा परिणाम<br>की कार्यवाही<br>प्रचलित। |
| 4 | राज्य स्तरीय<br>प्रशिक्षण संस्थान<br>महलगांव ग्वालियर | SLTI<br>Gwalior | IAS,<br>उपजिलाध्यक्ष                                                   | 118 | 08/02/2021 से<br>19/02/2021<br>तक | परीक्षा प्रचलित<br>है।                     |

## 6. विभागीय निर्माण कार्य आयोजना

### 6.1 राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय सह आवास भवनों का निर्माण

6.1.1 उद्देश्य- राजस्व निरीक्षक/पटवारियों के कार्य का अधिकांश समय ग्रामीण अंचल में होता है, परन्तु वहां निवास की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें जिला व तहसील मुख्यालय पर निवास करना पड़ता है। फलस्वरूप कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कृषकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके इसके लिए राजस्व निरीक्षक/पटवारियों को हल्के पर ही रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में रा.नि. मण्डल तथा पटवारी हल्के में कार्यालय सह आवासीय भवन बनवाने की योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने हल्कों में निवास कर सकेंगे और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर सकेंगे।

6.1.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विभाग द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत राशि रुपये 50.00 लाख का बजट प्रावधानित किया गया है।



## 6.2 राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला भवनों का निर्माण-

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भू-अभिलेख विभाग की महत्वपूर्ण इकाई है इन कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला के भवनों के निर्माण हेतु कार्य कराया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं 9 पटवारी प्रशिक्षण शाला संचालित है।

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

7. बजट आवंटन बी.सी.ओ 0704 आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र.

वित्त वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधान, आवंटन तथा व्यय की जानकारी दिनांक 05.02.2021

(राशि रूपए में)

| स.क्र. | योजना का क्रमांक व नाम                           | गतिविधियां                                  | वित्त वर्ष 2020-21 हेतु प्रावधान | बी.सी.ओ. को प्राप्त आवंटन | डी.डी.ओ. को आवंटित राशि | व्यय      |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 1      | 2                                                | 3                                           | 4                                | 5                         | 6                       | 7         |
| 1      | 0456-आयुक्त भू-अभिलेख का कार्यालय                | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय | 11785000                         | 11785000                  | 4832654                 | 365343    |
| 2      | 6846-भू-प्रबंधन                                  | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय | 160106000                        | 160106000                 | 140868295               | 108826750 |
| 3      | 5070-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण | विभाग की मशीनरी का उन्नयन                   | 132185000                        | 132185000                 | 49833816                | 16853140  |
| 4      | 5390-पीएम किसान सम्मान निधि                      | कृषकों को अनुदान राशि                       | 100000000                        | 100000000                 | 25586424                | 4231488   |



|      |                                                                                   |                                              |              |              |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 5    | 7167-एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनीकीकरण                   | प्रशिक्षण शालाओं में निर्माण कार्य           | 10000000     | 10000000     | 5826000     | 1200000     |
| 6    | (9513) भू-अभि. का डिजीटलाईजेशन                                                    | वि.सेवा हेतु मानदेय                          | 1000         | 1000         | 0           | 0           |
| 7    | (9515) आबादी सर्वे एवं अभिलेख निर्माण                                             | वि.सेवा हेतु मानदेय                          | 1000         | 1000         | 0           | 0           |
| 8    | 9981- लघु सिचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय                    | मानदेय                                       | 0            | 0            | 0           | 0           |
| 9    | 1472- जिला खर्च                                                                   | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या.. व्यय | 102170000    | 102170000    | 50895935    | 40241001    |
| 10   | 2494- पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या.. व्यय | 3449000      | 3449000      | 2306300     | 1447678     |
| 11   | (6155) कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण                | शासकीय प्रेस के देयकों हेतु                  | 1500000      | 1500000      | 1437923     | 1144298     |
| 12   | 6345 सी.एम.किसान कल्याण योजना                                                     | सहायक अनुदान                                 | 160000000003 | 125000000000 | 40000000000 | 40000000000 |
| 13   | 6980-जिला एवं प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)            | निर्माण कार्य                                | 5000000      | 4000000      | 0           | 0           |
| 14   | 2183-नगरीय भूमि सीमा अंतर्गत भूमि धारकों को मुआवजा                                | मुआवजा                                       | 1000         | 1000         | 0           | 0           |
| योग- |                                                                                   |                                              | 16526197003  | 13025197000  | 4281587347  | 4177397796  |



## प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-425-12-1 2004- सात (4बी) दिनांक 15 फरवरी, 2011 द्वारा राजस्व प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा भोपाल में प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है, जो वर्तमान में प्रथम तल, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में संचालित है।

राज्य शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

प्रशासनिक दक्षता एवं जन सामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिए, शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुरूप समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं, तदनुसार निम्न कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे:-

1. तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्थापना, सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण आदि।
2. संभागीय आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थापना।
3. संभाग, जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के बजट नियंत्रण संबंधी कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
4. नजूल भूमि एवं जारी किए गए स्थायी एवं अस्थायी पट्टे, अनुज्ञापतियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण।
5. भू-अर्जन, विभिन्न बृहद एवं लघु परियोजनाओं के लिए सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि के अर्जन की अनुमति।



6. नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के अभाव में शासन हित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय/आवंटन।
7. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अभाव में प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि।
8. निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम निर्धारण एवं पुन-निर्धारण।
9. भू-राजस्व की वसूली।
10. आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण।
11. राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन।
12. निस्तार भूमि तथा चरनोई, बाजार-हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था।
13. राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि।
14. राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए विभागों /संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना।
15. विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों/विनियम/अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
16. विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सामान्य शक्तियां।
17. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही।
18. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाते हैं।

प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय हेतु सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनर्वास आयुक्त कार्यालय म.प्र. रिडिप्लाय हुये पदों के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है।



**प्रपत्र- 1**  
**राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020-21**

(राशि करोड में)

| स.क्र. | राजस्व शीर्ष | वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति की राशि | वर्ष 2018-19 की तुलना में वृद्धि (+) या कमी (-) | वृद्धि / कमी का प्रतिशत |
|--------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 0029         | 562.09                                   | वृद्धि                                          | (32%)                   |

**प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय म.प्र. वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति**  
**दिनांक 15.02.2021 की स्थिति में**

राशि रुपये करोड में

| स क्रं | मांग संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | योजना                                | बजट प्रवधान   | कुल व्यय      | शेष आबंटन     |
|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | 2           | 3                | 4                                    | 5             | 6             | 7             |
| 1      | 08          | 2053             | 0441 आदेशिका वाहन स्थापना            | 130.45        | 106.84        | 23.61         |
| 2      | 08          | 2053             | 0452 आयुक्त स्थापना                  | 27.55         | 18.40         | 9.15          |
| 3      | 08          | 2053             | 0619 उप संभागीय स्थापना              | 321.13        | 262.04        | 59.15         |
| 4      | 08          | 2053             | 1478 भूमि सुधार आयोग                 | 1.16          | 0.77          | 0.39          |
| 5      | 08          | 2053             | 6924 प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना    | 12.11         | 3.16          | 8.95          |
| 6      | 08          | 2053             | 1509 जिला स्थापना                    | 316.47        | 219.90        | 96.57         |
| 7      | 08          | 2053             | 8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य | 2.34          | 1.49          | 0.85          |
|        |             |                  | <b>योग लेखा शीर्ष 2053</b>           | <b>811.21</b> | <b>612.14</b> | <b>199.07</b> |

|   |    |      |                                                        |        |        |      |
|---|----|------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 8 | 08 | 4059 | 5160 कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण | 9.48   | 6.55   | 2.93 |
| 9 | 08 | 4059 | 6664 तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण               | 130.00 | 100.80 | 29.2 |

|                                  |               |               |              |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>योग मुख्य लेखा शीर्ष 4059</b> | <b>139.48</b> | <b>107.35</b> | <b>32.13</b> |
| <b>योग मुख्य लेखा शीर्ष 08</b>   | <b>950.69</b> | <b>719.49</b> | <b>131.2</b> |



## भवन निर्माण

### राजस्व विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों का विवरण

तहसील, अनुविभाग, जिला एवं संभागीय कार्यालय प्रदेश की मुख्य प्रशासनिक इकाईयां हैं। प्रदेश में अभी भी कुछ कार्यालय भवन अत्यंत पुराने अथवा अन्य विभागों के भवनों में संचालित हैं। ऐसे कार्यालयों को आधुनिक एवं सर्वसुविधा युक्त सहित भवनों में परिवर्तित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गत वर्षों में नवीन संभाग, जिला कार्यालय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं साथ ही वर्ष 2019-20 से प्रदेश में संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (जी+2), अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, संयुक्त तहसील कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उप तहसील (टप्पा कार्यालय) हेतु मानक मानचित्र निर्धारित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा रही हैं उक्त कार्यालय भवनों में भविष्य की सभी आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। विवरण निम्नानुसार है-

### योजनावार वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रु. में)

| क्रमांक | योजना का नाम                        | कुल स्वीकृत कार्य | प्रशासकीय स्वीकृति की कुल राशि |
|---------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1       | 6664 राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण | 174               | 589.10                         |
| 2       | 5160- आवासीय भवनों का निर्माण       | 71                | 139.11                         |



वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधान / व्यय (15 फरवरी 2021 की स्थिति में)

(राशि रुपये करोड़ में)

| क्र. | योजना                                                         | बजट प्रावधान | आवंटन<br>(पी.आई.यू) | अद्यतन व्यय | शेष राशि |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------|
| 1    | 6664-तहसील, जिला एवं<br>संभागीय कार्यालय के<br>भवन निर्माण    | 130.00       | 130.00              | 100.80      | 29.19    |
| 2    | 5160- कम आबादी वाली<br>तहसीलों में आवासीय<br>परिसर का निर्माण | 9.48         | 9.48                | 6.55        | 2.92     |

2018-19 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की स्थिति -

(राशि रुपये करोड़ में)

| क्रं | कार्यालय का नाम                            | संख्या     | भवन का<br>क्षेत्रफल<br>(वर्गमीटर में) | प्रति इकाई<br>लागत | कुल लागत        | कुल<br>पूर्ण | प्रगतिरत  |
|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1    | संयुक्त अनुविभागीय<br>अधिकारी कार्यालय भवन | 3          | 3630                                  | 775.00             | 2325.00         | 0            | 3         |
| 2    | संयुक्त तहसील कार्यालय<br>भवन              | 7          | 2450                                  | 563.00             | 630.00          | 2            | 5         |
| 3    | अनुविभागीय अधिकारी<br>कार्यालय भवन         | 27         | 370                                   | 90.00              | 15201.00        | 2            | 25        |
| 4    | उप तहसील कार्यालय<br>भवन                   | 75         | 370                                   | 85.00              | 6375.00         | 22           | 53        |
|      | <b>कुल</b>                                 | <b>112</b> |                                       |                    | <b>24531.00</b> | <b>26</b>    | <b>86</b> |



3. उक्त भवनों की लागत में Land Development, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, कार्यालय फर्नीशिंग एवं इंटीरियर, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के कक्ष में क्यूबिकल्स, रिकार्ड रूम हेतु कॉम्पेक्टर, बाउंड्रीवॉल, आंतरिक एवं बाह्य वॉटर सप्लाई, इंटरनेट लेन आदि का कार्य सम्पन्न है।

4. पूर्व में कार्यालय भवनों के निर्माण के मानचित्र जिले की आवश्यकता एवं पी.आई.यू. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार होते थे। जिसके कारण कार्यालय भवनों के मानचित्र एवं लागत में एकरूपता नहीं थी। पूरे प्रदेश के राजस्व विभाग अंतर्गत कार्यालय भवनों के निर्माण में एकरूपता लाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में कार्यालय भवनों के चार प्रकार तय किये गए जो की उप-तहसील कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन, संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन जी+2 के रूप में है। उक्त भवनों के लिए मानक मानचित्र स्वीकृत किए एवं उनकी मानक लागत तय की गई।



संयुक्त तहसील कार्यालय, सुठालिया, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश





उप तहसील विजयागंज मंडी, तहसील एवं जिला देवास, मध्यप्रदेश



उप तहसील बरोठा, तहसील व जिला देवास, मध्यप्रदेश



संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश



## राजस्व विभाग के अमले की पदपूर्ति

- 1- म0प्र0 लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 के अनुपूरक सूची से म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 7/1/2021 द्वारा 02 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर की जाकर जिले में पदस्थापना की गई।
- 2- नव नियुक्त कुल 15 नायब तहसीलदारों का आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा,प्रशासन अकादमी द्वारा कराया गया है।
- 3- कुल 145 नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
- 4- कुल 55 तहसीलदारों को समयमान वेतनमान दिया गया।
- 5- नवीन संशोधित भू-राजस्व संहिता 1959 का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी भोपाल में जनवरी, 2019 से प्रारंभ किया गया था। उक्त प्रशिक्षण में जनवरी, 2019 से 2 मार्च 2020 तक कुल 882 राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण हेतु शेष राजस्व अधिकारियों के लिये पुनः दिनांक 18 जनवरी, 2021 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। दिनांक 01 फरवरी, 2021 तक कुल 29 राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।



आर सी वी पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल  
राजस्व विभाग के अधिकारियों हेतु "नवीन संशोधित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959" का प्रशिक्षण  
कोड क्रमांक -692, अवधि 08.02.21 से 12.02.21



आर सी वी पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल  
लाईन/ऑफलाईन आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण (10 सप्ताह) के लिए  
(दिनांक 23 नवम्बर 2020 से 29 जनवरी 2021 तक) (कोड क्रमांक -527)





## • वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की ऑनलाईन ई-फाइलिंग

[www.mpsparrow.gov.in](http://www.mpsparrow.gov.in)

जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन जो कि पूर्व में मैनुअल प्रस्तुत किए जाते थे उन्हें SPARROW Portal के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का प्रारूप एवं उसमें जानकारी भरने की प्रक्रिया तथा चैनल आदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और उक्त समस्त व्यवस्थाएँ शासन द्वारा पूर्व से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही रहेंगी। केवल कार्यवाही ऑनलाईन Sparrow के माध्यम से प्रारंभ की जा चुकी है। वर्ष 18-19 एवं 19-20 की समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार के एसीआर वर्तमान में ऑनलाईन मतांकन किया जा रहा है।

## • राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (RCMS) परियोजना -

1. राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, तत्परता लाये जाने एवं आम जनमानस में राजस्व न्यायालय में प्रतिबद्धता बढ़ाना, मैदानी क्षेत्रों में भूमि विवादों को समाप्त करना और आम नागरिकों को राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को शत-प्रतिशत Online उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की योजना मैपआईटी के तकनीकी सहयोग से प्रदेश के समस्त संभागों एवं जिलों के राजस्व न्यायालयों में दिनांक 01/10/2016 से प्रारंभ की गई है।
2. आर.सी.एम.एस. परियोजना की वेबसाइट [www.rcms.mp.gov.in](http://www.rcms.mp.gov.in) है। जिसमें-
  - a. 150 से अधिक मदों में राजस्व प्रकरणों का पंजीयन की सुविधा



- b. ऑनलाईन सुनवाई, काजलिस्ट एवं इशतहार जारी करना राजस्व प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही विवरण ऑनलाईन अंकित करना, नोटिस जारी करना एवं अन्तिम आदेश पारित कर अपलोड की सुविधा
- c. Single Dashboard के माध्यम से प्रभावी समीक्षा एवं कार्यवाही सुनिश्चित करना
- d. अन्य ऑनलाईन सिस्टम जैसे- ई-संपदा, वेब जी.आई.एस इत्यादि से Integration कर जनोपयोगी बनाकर समय व श्रम की बचत तथा पारदर्शी प्रशासन दिया जाना।

3. नवीन माड्यूल- राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के नवीन नियमों के अनुरूप माड्यूल प्रारंभ किए गए।
4. **Online Payment Gateway -RCMS Application** में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों में रु 100 प्रक्रिया शुल्क Online Payment Gateway के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा विकसित किया गया।
5. **धारणाधिकार माड्यूल- RCMS Application** में धारणाधिकार माड्यूल प्रारंभ किया गया।
6. **M-RCMS App**- नागरिकों, अधिवक्ताओं एवं पीठासीन अधिकारियों हेतु M-RCMS App उपलब्ध कराया गया है।
7. **RCMS Application** के माध्यम से अब तक 80,82,123 राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं जिसमें से 74,68,652 प्रकरण निराकृत किए गए हैं जो लगभग 92 प्रतिशत निराकरण है।



8. सभी राजस्व प्रकरण ऑनलाईन- उक्त परियोजना के अन्तर्गत सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन प्राप्त एवं निराकृत किये जाने की राजस्व न्यायालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
9. सूचनायें ऑनलाईन व एस.एम.एस. एलर्ट-परियोजना के लागू होने से राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं को उनके प्रकरण से संबंधित सभी सूचनायें ऑनलाईन व एस.एम.एस. एलर्ट द्वारा प्राप्त हो रही हैं।
10. UI/ UX (Interface) - RCMS के नवीन संस्करण 2.0 में UI (User Interface) को और अधिक आकर्षक और User Friendly बनाया गया है।
11. आबादी सर्वे- स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि के सर्वे हेतु RCMS में प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु नवीन Module तैयार किया गया है तथा सर्वे हेतु App तैयार किया जा रहा है।
12. पीएमकेयर-योजना अन्तर्गत राज्य के समस्त प्रवासी मजदूरों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांशित किये जाने हेतु जानकारी एकत्र किये जाने हेतु नवीन माड्यूल तैयार किया गया है।
13. कोटवार, भृत्य, वाहन चालकों का डाटा कलेक्शन- राजस्व विभाग अन्तर्गत पदस्थ समस्त कोटवार, भृत्य एवं वाहन चालकों को शासन द्वारा देय समस्त सुविधाओं को सीधे उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उनकी जानकारी एकत्र की गई है।
14. SSO Integration – RCMS में Login हेतु Single Sign On सुविधा प्रारंभ की गई है जिससे उपयोगकर्ता अधिकारी को पृथक पृथक यूजर नेम पासवर्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।



15. **Chat Bot:** RCMS में उपयोगकर्ता की सहायता हेतु Virtual Assistant Chat Bot तैयार किया गया है जिससे उपयोगकर्ता सामान्य विषयों की जानकारी पोर्टल से सीधे प्राप्त कर सकता है।
16. **RBC 6(4)**– राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत जनहानि, पशुहानि मकान क्षति आदि के प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु Online Module तैयार किया गया है जिससे प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा।
17. **डायवर्सन**– RCMS में डायवर्सन के प्रकरण दर्ज होकर, प्रीमियम एवं अर्थदण्ड की गणना उपरांत सीधे भू-अभिलेख के WebGIS Application में वसूली हेतु दर्ज हो रहे हैं।
18. **Speech to Text Convertor:** उक्त सुविधा का उपयोग पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी राजस्व प्रकरण में बोलकर आदेश टंकित किया जा सकता है जिससे काफी समय की बचत होगी।
19. **Auto Head Selection:** राजस्व प्रकरणों को पंजीकृत करते समय प्रकरण की विषयवस्तु को चयन करने पर मद(Head) स्वमेव RCMS Portal द्वारा चयन कर लिया जाएगा। जिससे प्रकरणों के अन्य मदों में त्रुटिवश दर्ज होने की संभावना नगण्य हो जायेगी।
20. **Abhiyan Module:** राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर राजस्व प्रकरणों को अभियान के रूप में निराकरण किए जाने हेतु अभियान Module तैयार किया गया है जिससे अभियान के दौरान पंजीकृत, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा सका है।



21. **User Manuals** - RCMS के सभी Modules के User Manuals जारी किए गए जिससे उपयोगकर्ता को RCMS Application का उपयोग करने में सहूलियत होगी।
22. **अंतिम आदेशों की प्रतियां Digital Sign से उपलब्ध कराना:** राजस्व न्यायालयों द्वारा पूर्व में किए गए अंतिम आदेश जो हस्ताक्षरित कर एवं स्कैन कर अपलोड किए गए थे उन्हें सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है।
23. **सीमांकन (नवीन नियमों के अनुसार)-** राज्य शासन द्वारा जारी सीमांकन के नवीन नियमों के अनुसार RCMS में Module तैयार किया गया है।
24. **बंटवारा (नवीन नियमों के अनुसार) -** राज्य शासन द्वारा जारी बंटवारा के नवीन नियमों के अनुसार RCMS में Module तैयार किया गया है।
25. **E-Summon -** RCMS से पक्षकारों को जारी होने वाले सम्मन को अब E-mail एवं SMS के माध्यम से तामीली कराये जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिससे सभी पक्षकारों को सुनिश्चित तामीली कराई जा सकेगी।
26. **Land Allotment -**भूमि के आवंटन के प्रकरणों को तैयार करने एवं विभिन्न स्तरीय समितियों के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने हेतु भूमि आवंटन Module तैयार किया गया है। जिससे भूमि आवंटन के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत किया जा सकेगा।
27. **Digital Sign-** दिनांक 1 सितम्बर 2020 से राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित किए जाने वाले सभी अंतिम आदेशों को Digital Sign से जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।



28. **Online Ticketing System** – RCMS में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों के निराकरण हेतु Online Ticketing System तैयार किया गया है जहां जनसामान्य एवं राजस्व न्यायालयों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण किया जा रहा है।

29. **पाक्षिक वीडियो कांफ्रेंस**– RCMS में राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा पाक्षिक रूप से की जा रही है।

30. **E-Cause List** – राजस्व न्यायालयों में पेशी पर लगे प्रकरणों को E-Cause List के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है जिससे आगामी माहों में पेशी पर लगे समस्त प्रकरणों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

31. **राजस्व प्रकरणों का निर्वर्तन** - राजस्व वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के पंजीयन, निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है

| क्र. | प्रकरणों का मद   | गत राजस्व वर्ष के लंबित प्रकरण | चालू राजस्व वर्ष 2020-21 में दर्ज प्रकरण | कुल दर्ज प्रकरण | 31/01/2021 तक लंबित कुल राजस्व प्रकरण | राजस्व वर्ष 2020-21 में कुल निराकृत प्रकरण |
|------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | कुल दर्ज प्रकरण  | 80373                          | 1884723                                  | 1965096         | 559096                                | 1406000                                    |
| 2    | नामान्तरण प्रकरण | 15099                          | 785290                                   | 800389          | 211362                                | 589027                                     |
| 3    | बंटवारा प्रकरण   | 7408                           | 134100                                   | 141508          | 64567                                 | 76941                                      |
| 4    | सीमांकन प्रकरण   | 2529                           | 75948                                    | 78477           | 30595                                 | 47882                                      |



32. सीएम सिटीजन केयर (181) के माध्यम से अधि सूचित सेवा क्रमांक 6.1 एवं 6.2 (कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र) के आवेदन निराकरण के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नामांकित किये गये हैं। जिससे सुविधा का प्रदाय किया जाना सुलभ हुआ।



## राहत आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रदेश स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी संकलित करने और प्रदेश आपदा प्रभावितों को प्रदाय की जा रही राहत की निरन्तर पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा की गई। राजस्व विभाग अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, ओला, असमयवृष्टि, (बेमौसम वर्षा) पाला, शीतलहर, कीट, प्रकोप, इल्ली, टिड्डी, आंधी-तूफान, भूकंप, सूखा, एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल नुकसानी तथा जनहानि और पशुहानि होने पर प्रभावितों को त्वरित रूप से राहत पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग यह कार्य जिला स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से संपादित करता है। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ितों को तत्काल रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आयी विपदा का मुकाबला करने के लिये उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश तथा मापदण्ड राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निर्धारित किये गये हैं।

### स्थापना :- राहत आयुक्त कार्यालय का सेटअप

| क्र. | पदनाम                   | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | राहत आयुक्त             | 01                     | 01                 | 00                   |
| 2    | उप राहत आयुक्त          | 01                     | 01                 | 00                   |
| 3    | लेखाधिकारी              | 01                     | 01                 | 00                   |
| 4    | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 02                     | 00                 | 02                   |
| 5    | सहायक अंकेक्षण अधिकारी  | 01                     | 01                 | 00                   |



|    |                            |    |    |    |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 6  | सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 01 | 00 | 01 |
| 7  | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर        | 02 | 00 | 02 |
| 8  | अन्वेषक                    | 03 | 01 | 02 |
| 9  | संगणक                      | 01 | 00 | 01 |
| 10 | सहायक ग्रेड 2-             | 01 | 01 | 00 |
| 11 | लेखापाल                    | 01 | 01 | 00 |
| 12 | सहायक ग्रेड 3-             | 04 | 04 | 00 |
| 13 | स्टेनो टायपिस्ट            | 01 | 01 | 00 |
| 14 | स्टेनोग्राफर               | 01 | 00 | 01 |
| 15 | वाहन चालक                  | 04 | 03 | 01 |
| 16 | भृत्य                      | 05 | 04 | 01 |
| 17 | डाकराईडर                   | 02 | 02 | 00 |
| 18 | चौकीदार                    | 01 | 01 | 00 |
|    | कुल पद                     | 33 | 22 | 11 |

2/ यह कार्यालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर उन सारणीकरण कर राज्य शासन को अवगत कराता है। निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत जिले के कलेक्टरों के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित तथा यथायोग्य सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यालय द्वारा वर्षा ऋतु में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित कर वर्षा त



बाढ़ की स्थिति की निरंतर पर्यवेक्षण की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलों में तत्काल बचाव हेतु हेलीकॉप्टर एवं एनडीआरएफ बल आदि की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समन्वय किया जाता है।

3/ भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुँचाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) की स्थापना वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप हुई है।

एस.डी.आर.एफ की निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश का आकलन निम्नानुसार है:-

4/ चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण निधि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रु. करोड़)

| अनुदान वर्ष | राज्य आपदा मोचन निधि |              | योग     | क्षमता निर्माण अनुदान | कुल योग |
|-------------|----------------------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|             | केन्द्रांश@75%       | राज्यांश@25% |         |                       |         |
| 1           | 2                    | 3            | 4       | 5                     | 6       |
| 2015-16     | 657.75               | 219.25       | 877.00  | 5.00                  | 877.00  |
| 2016-17     | 690.75               | 230.75       | 921.00  | 26.14                 | 921.00  |
| 2017-18     | 725.25               | 241.75       | 967.00  | 36.65                 | 967.00  |
| 2018-19     | 914.40               | 101.60       | 1066.00 | 07.48                 | 1066.00 |
| 2019-20     | 799.50               | 266.50       | 1066.00 | 01.38                 | 1066.00 |



5/ पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार (SDRMF) राज्य आपदा मोचन प्रबंधन निधि एवं क्षमता निर्माण की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रू. करोड में)

| अनुदान वर्ष | राज्य आपदा प्रबंधन निधि |              | योग     |
|-------------|-------------------------|--------------|---------|
|             | केन्द्रांश@75%          | राज्यांश@25% |         |
| 1           | 2                       | 3            | 4       |
| 2020-21     | 1820.25                 | 606.75       | 2427.00 |

6/ मध्य प्रदेश शासन आपदाओं से हुई क्षति के मामलों में प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र में सहायता का प्रावधान रखा है, जिससे प्रभावितों पर आयी आपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें। इसके साथ ही समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है।

7/ प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को हुई क्षति के अनुसार तत्काल राहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। व्यापक आपदाओं के आने पर एसडीआरएफ के निर्धारित राशि एवं राज्य शासन से उपलब्ध बजट से अधिक व्यय होने की संभावना पर भारत सरकार को मेमोरेण्डम भेजा जाकर अतिरिक्त सहायता राशि की मांग राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से की जाती है।

8/ प्रदेश में माह जून एवं सितंबर 2020 के मध्य अतिवृष्टि तथा कीट प्रकोप की स्थिति निर्मित हुई, जिसका प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रभाव पड़ा है। आपदा विवरण तथा इसके निदान के लिये प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रभावशाली राहत एवं बचाव उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-



(I) बाढ़/अतिवृष्टि से प्रदेश के 27 जिलों में 9.54 लाख हेक्टेयर फसल क्षति, 37787 कच्चे एवं पक्के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त, 3699 पक्के मकान आंशिक क्षतिग्रस्त, 28038 आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकान तथा 9703 झोपडियां, 3171 पशुघरों की क्षति तथा कुल 17478 पशुहानि हुई।

(II) रायसेन जिले में ग्राम भौती, सीहोर जिले में ग्राम सेमलवाडा, होशंगाबाद जिले में ग्राम बन्दाभान तथा बालाघाट जिले में एक स्थान पर फसे लोगो को वायु सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया। बाढ़ से प्रभावित 16 जिलों में कुल 22546 व्यक्तियों को निकाला गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना की 06 टुकडियाँ, एन.डी.आर.एफ की 06 टीमें, होमगार्ड्स के 6180 जवान, SDERF के 550 कर्मचारी एवं 40 गोताखोरों को तैनात किया गया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों में कुल 310 राहत कैम्पों में लगभग 36204 लोगो को ठहराया गया। जिसमें निःशुल्क भोजन, पानी, ठहरने आदि की व्यवस्था की गई थी।





(III) कीट प्रकोप से प्रदेश के 26 जिलों में लगभग 27.63 लाख कृषकों की 31.13 लाख कटेयर फसल क्षति हुई है।





(III) कीट प्रकोप से प्रदेश के 26 जिलों में लगभग 27.63 लाख कृषकों की 31.13 लाख हेक्टेयर फसल क्षति हुई है।





9/ बाढ़/अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से हुई क्षति के लिये, प्रभावितों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से एन.डी.आर.एफ अंतर्गत अतिरिक्त राहत सहायता के लिए राशि रु.3685.76 करोड़ हेतु मेमोरेन्डम भारत सरकार गृह मंत्रालय को भेजा गया है। भारत सरकार को भेजे गए मेमोरेन्डम की राशि में से बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को रु. 611.61 करोड़ एवं कीट प्रकोप से फसल क्षति हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति द्वारा रु. 1280 करोड़ राज्य शासन को जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित किसानों को एक क्लिक के माध्यम से राहत राशि वितरण की शुरुआत की गई।

10/ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में अनुदान सहायता (दिनांक 05.02.2021 तक)

| क्र. | आपदा का नाम                                | आवंटित राशि<br>(लाख रु. में) | व्यय की स्थिति<br>(लाख रु. में) |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1    | शहरी पेयजल परिवहन                          | 1010.68                      | 38.77                           |
| 2    | ग्रामीण पेयजल परिवहन                       | 46.40                        | 4.48                            |
| 3    | कीट प्रकोप                                 | 120685.51                    | 101841.41                       |
| 4    | पुनःस्थापना के लिए सहायता, अन्य कार्य हेतु | 4.43                         | 4.43                            |
| 5    | पाला                                       | 72.64                        | 72.64                           |
| 6    | राहत उपकरण क्रय                            | 10967.52                     | 10457.26                        |
| 7    | आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने हेतु     | 3106.65                      | 1700.32                         |



कुल योग :-रु.135893.83

(रुपये तेरह सौ अठावन करोड त्रियानवे लाख  
त्रियासी हजार)

रु. 114119.31

(रु.ग्यारह सौ इकतालीस करोड उन्नीस लाख इकतीस हजार)

1/ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में ग्लोबल मदों में अनुदान सहायता (दिनांक  
05.02.2021 तक)

| क्रमांक | आपदा का नाम                                                    | व्यय की स्थिति<br>(लाख रु. में) |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | अग्नि पीडितों को राहत                                          | 1490.34                         |
| 2       | ओला पीडितों को राहत                                            | 17108.60                        |
| 3       | बाढ/अतिवृष्टि पीडितों को राहत                                  | 52798.10                        |
| 4       | राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत आपदा में<br>आर्थिक सहायता | 77799.99                        |
| 5       | सर्पदंश पर आर्थिक सहायता                                       | 9739.75                         |
| 6       | वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति                                | 119.35                          |
|         | योग                                                            | 159056.13                       |

रु. 159056.13(रु.पंद्रह सौ नब्बे करोड छप्पन लाख तेरह हजार)



## 12/ कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये गये कार्यों पर व्यय की जानकारी

- i. कोरोना महामारी से निपटने हेतु लॉकडाउन अवधि (जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सामान्य सेवाएँ प्रतिबंधित रही हैं) में भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु क्वारंटीन(quarantine) सुविधाओं, सैम्पल कलेक्शन, स्क्रीनिंग तथा आवश्यक उपकरण, लैब की व्यवस्था, अत्यंत गरीब परिवारों/पलायन करने वाले मजदूरों के लिए अस्थायी राहत शिविर (भोजन कपड़े सहित) आदि की व्यवस्था हेतु व्यय को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत अनुमत्य किया गया है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जिला कलेक्टरों को प्रत्येक जिला रुपये 2.00 करोड़ तक व्यय की अनुमति दी गई है। विभागों यथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्साशिक्षा विभाग, आयुष विभाग एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को वर्ष 2019-20 में रुपये 150.00 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में रुपये 572.49 करोड़ का आबंटन प्रदान किया गया है।
- ii. देश में लॉकडाउन के कारण अन्य जिलों के श्रमिक एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में म.प्र. एवं अन्य राज्यों (जो म.प्र. होकर अपने राज्यों में गए) के प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले को रुपये 1.00 करोड़ तक व्यय की अनुमति दी गई है।
- iii. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे और अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं खाद्यान्न, दवाईयों एवं रहने के स्थान इत्यादि की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के अनुमोदन अनुरूप प्रवासी मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके बैंक अकाउंट/इ-वॉलेट के माध्यम से रु. 1000/- हस्तांतरित किये जाने के प्रावधान करते हुए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता 2020 लागू की गयी। यह योजना दिनांक 17-04-2020 से दिनांक 30-06-2020



तक लागू रही है। इस योजना में लगभग रू.15.50 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित किये गये है।

प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु योद्धाओं की तरह सेवाएं दे रहे कर्मियों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू की गई थी। इसके अंतर्गत गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग अन्य विभागों के कर्मी जो कोविड-19 महामारी के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सम्मिलित पदों को पात्र माना गया। उनके कोविड-19 के कारण जीवन हानि या कोविड-19 की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके दावेदार को रू. 50.00 लाख का भुगतान किया गया।

अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को रेल से वापिस लाए जाने हेतु रू. 6,98,49,703/- का भुगतान रेल विभाग को किया जा चुका है।



# पुनर्वास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

## 1. विभागीय संरचना :-

विभागाध्यक्ष स्तर पर पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त हैं।

## 2. कार्यालय :-

राजस्व (पुनर्वास) विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिये पुनर्वास आयुक्त कार्यालय राजस्व-राहत भवन में है, जिसमें अमला पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त के अधीन कार्य करता है।

## 3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :-

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कोई मण्डल/ उपक्रम/ संस्था कार्यरत नहीं हैं,

## 4. अधीनस्थ कार्यालय :-

- |                                                                        |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. कार्यालय कार्यव्यवस्थापक<br>सी.सी.एफ. इकाई इटारसी<br>जिला होशंगाबाद | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी<br>के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 2. कार्यालय कार्यव्यवस्थापक<br>सी.सी.एफ. इकाई हरदा<br>जिला हरदा        | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी<br>के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 3. प्रभारी अधिकारी<br>पुनर्वास परियोजना शाहपुर<br>जिला बैतूल।          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर<br>के पास अतिरिक्त प्रभार |



द्वितीय वर्ष 2020-2021 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति  
(जानकारी माह जनवरी, 2020 की स्थिति में)

| क्र. संख्या | मौज | मुख्य लेखा शीर्ष | योजना                                                                              | बजट प्रावधान | कुल व्यय | शेष आवंटन | रिमार्क |
|-------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| 1.          | 08  | 2235             | 2709 प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये) | 42.63        | 29.34    | 13.29     |         |

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में प्रचलित गतिविधियाँ

- दिनांक 01-04-1984 के पश्चात् विस्थापितों को दिये गये ऋणों के अपलेखन संबंधी कार्य (बैतूल, पन्ना, सतना, उज्जैन, इन्दौर, राजगढ़) राशि रुपये 59.31 लाख के सटिफिकेट भारत सरकार को प्रेषित करना।
- दिनांक 01-04-1984 के पूर्व विस्थापितों को भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के अपलेखन का कार्य। भारत सरकार द्वारा कुल ऋण राशि रुपये 5,74,24,370 के अपलेखन स्वीकृत दी गई है। विभिन्न जिलों के विस्थापितों को दिये गये ऋण राशि रुपये 5,66,01,022 अपलेखन की स्वीकृति जारी की गई है शेष राशि रुपये 8,23,347 का अपलेखन किया जाना है। भोपाल जिला शेष बचा है।
- भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विस्थापितों के बसाहट के रूप में दिये गये ऋण माफ किये जाने के परिपेक्ष्य में विस्थापितों के ऋण के एवज में उनकी रखी गई मकानों की रजिस्ट्रीयों के विमुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिला मण्डला के 33, बालाघाट के 02, इन्दौर के 128 तथा जिला देवास के 43 विस्थापित परिवारों के



मकानों की रजिस्ट्रीयां विमुक्त कराई गई है। अन्य जिलों यथा छतरपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, सीहोर, टीकमगढ़, दमोह, ग्वालियर, मुरैना, सागर, मंदसौर, पन्ना, सिवनी, गुना, विदिशा, बैतूल, सतना, जबलपुर, देवास, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, खंडवा, एवं इन्दौर के बंगाली विस्थापितों की रजिस्ट्रीयां विमुक्त कराने का कार्य प्रचलित है।

निष्क्रांत संपत्तियों के प्रकरणों के निराकरण से प्राप्त चालानों का संधारण।

सी.सी.एफ. यूनिट इटारसी की विभिन्न विभाग पर राशि रूपये 28,28,000/- तथा हरदुआ की राशि रूपये 8,71,000/- कुल राशि रूपये 36,99,000/- बकाया राशि (जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लघु उद्योग निगम से वसूली का कार्य। बंगाली विस्थापितों के पट्टों से संबंधित कार्य।

### बंगाली विस्थापितों को आवंटित पट्टों की जानकारी

| परियोजना          | बंगाली विस्थापितों की बसाहट का कार्य | विस्थापितों को पट्टा वितरण का कार्य |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| हरदुआ जिला पन्ना  | 772                                  | 772                                 |
| उसरार जिला सतना   | 247                                  | 234                                 |
| शाहपुर जिला बैतूल | 2618                                 | 1697                                |



राजस्व विभाग के अधीन (विभागाध्यक्ष) पुनर्वास आयुक्त कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय सी.सी.ए. इकाईयों एवं परियोजनाओं में उपलब्ध पदों का विवरण.

| कार्यालय का नाम                                  | स्वीकृत पद का नाम     | पदों की संख्या | भरे पद | रिक्त पद | योग                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------------------------|
| (2)                                              | (3)                   | (4)            | (5)    | (6)      | (7)                                             |
| पुनर्वास आयुक्त कार्यालय, राजस्व-राहत भवन, भोपाल |                       |                |        |          |                                                 |
| 1.                                               | पुनर्वास आयुक्त       | 01             | 0      | 01       | 01<br>प्रमुख सचिव राजस्व के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 2.                                               | सहायक कार्यव्यवस्थापक | 01             | 0      | 01       | 01                                              |
| 3.                                               | सहायक ग्रेड-1         | 01             | 01     | 0        | 01                                              |
| 4.                                               | सहायक ग्रेड-2         | 01             | 0      | 01       | 01                                              |
| 5.                                               | तकनीकी सहायक          | 01             | 0      | 01       | 01                                              |
| 6.                                               | सहायक ग्रेड-3         | 01             | 01     | 0        | 01                                              |
| 7.                                               | दफ्तरी                | 01             | 01     | 0        | 01                                              |
| 8.                                               | भृत्य                 | 01             | 01     | 0        | 01                                              |
|                                                  | योग-                  | 08             | 04     | 04       | 08                                              |



|    |                                                      |                         |    |    |    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 2. | पुनर्वास परियोजना शाहपुर जिला - बैतूल।               |                         |    |    |    | अनुविभागीय अधिकारी<br>राजस्व शाहपुर के पास<br>प्रभार       |
|    | 1.                                                   | सहायक ग्रेड-3           | 01 | 0  | 01 | 01                                                         |
|    | 2.                                                   | भृत्य                   | 01 | 01 | 0  | 01                                                         |
|    |                                                      | योग                     | 02 | 01 | 01 | 02                                                         |
| 3  | कार्य व्यवस्थापक सी.सी.एफ इकाई इटारसी.जिला-होशंगाबाद |                         |    |    |    |                                                            |
|    | 1.                                                   | कार्यव्यवस्थापक         | 01 | 0  | 01 | 01<br>अनुविभागीय अधिकारी<br>राजस्व इटारसी के पास<br>प्रभार |
|    | 2.                                                   | चौकीदार                 | 01 | 0  | 01 | 01                                                         |
|    |                                                      | योग                     | 02 | 0  | 02 | 02                                                         |
| 4  | सी.सी.एफ. इकाई हरदा, जिला - हरदा                     |                         |    |    |    | अनुविभागीय अधिकारी<br>राजस्व हरदा सी के पास<br>प्रभार      |
|    | 1.                                                   | उप कार्यव्यवस्थापक      | 01 | 0  | 01 | 01                                                         |
|    |                                                      | योग                     | 01 | 0  | 01 | 01                                                         |
|    |                                                      | कुल स्वीकृत पदों का योग | 13 | 05 | 08 | 13                                                         |



## नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

विभागी चरना:-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत चार मुद्रणालय क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा में स्थित है। जिलों का मुद्रणालयों से सम्बद्धीकरण निम्नानुसार है:-

| संक्र० | मुद्रणालय का नाम                                  | सम्बद्ध जिलों के नाम                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                                                                                                                            |
| 1      | शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय<br>भोपाल (14 जिले)     | भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला एवं राजगढ़।      |
| 2      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,<br>ग्वालियर (12 जिले) | ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सागर, दमोह, छतरपुर, एवं टीकमगढ़।                            |
| 3      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर<br>(15 जिले)   | इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच शाजापुर एवं आगर मालवा। |
| 4      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा<br>(10 जिले)     | रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, डिण्डोरी, अनूपपुर, कटनी एवं पन्ना।                                                |



मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ3-3/2017/सात/4ए दिनांक 16-5-2017 के द्वारा कार्यालय सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर एवं जबलपुर के कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरान्त बंद किया गया, उक्त कार्यालय के स्वीकृत पदों को मुख्यालय एवं अधिनस्थ मुद्रणालयों के स्वीकृत पदों में जोड़ा गया है जिनकी श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है :-

| स0क्र0 | श्रेणी         | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|--------|----------------|------------|--------|----------|
| 1      | 2              | 3          | 4      | 5        |
| 1      | प्रथम श्रेणी   | 07         | 06     | 01       |
| 2      | द्वितीय श्रेणी | 09         | 02     | 07       |
| 3      | तृतीय श्रेणी   | 961        | 437    | 524      |
| 4      | चतुर्थ श्रेणी  | 299        | 145    | 154      |
| 5      | आकस्मिकता निधि | 05         | 03     | 02       |
| योग:   |                | 1281       | 593    | 688      |

टीप:- विभागीय संरचना (सेटअप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण पदों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है ।



दिनांक 1-1-2020 से दिनांक 31-12-2020 तक की स्थिति में

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- पदोन्नति                   | माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति संबंधी याचिका लंबित होने के कारण से पदोन्नति के पद लंबित हैं                                             |
| 2- समयमान वेतनमान का लाभ      | कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में समिति गठित की जा चुकी है समिति की बैठक माह फरवरी-2021 में आयोजित की जा रही है। |
| 3- अनुकंपा नियुक्ति           | अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। 08 प्रकरण नियुक्ति हेतु प्रशासकीय विभाग को भेजे गये हैं।                                    |
| 4- परिवीक्षा अवधि समाप्त करना | 07 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई है।                                                                                          |
| 5-परीक्षण अवधि समाप्त करना    | निरंक                                                                                                                                      |
| 6- विभागीय जांच               | 02 प्रकरण अधिकारी के एवं 03 प्रकरण कर्मचारियों के लंबित है।                                                                                |
| 7-न्यायालयीन प्रकरण           | 33 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।                                                                                            |

**नियंत्रक के दायित्व:-**

मध्यप्रदेश राजपत्र का प्रकाशन, विधानसभा प्रश्नोत्तरी एवं कार्यवाही विवरण का मुद्रण, विभिन्न चुनाव हेतु मतपत्रों तथा चुनाव संबंधित प्रपत्र एवं लिफाफों का मुद्रण, बजट (अनुदानों की मांग) पुस्तिका का मुद्रण, शैड्यूल प्रपत्रों का मुद्रण, विधानसभा के प्रश्नोत्तरी एवं अन्य सामग्रियों का मुद्रण, शासकीय डायरी एवं कैलेण्डर का मुद्रण तथा प्रकाशन। शासन के समस्त विभागों को उनकी मांग पर सामग्री का मुद्रण कर प्रदाय करना तथा भोपाल स्थित समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों को लेखन सामग्री के मांग की पूर्ति करना।



### सामान्य या प्रमुख विशेषताएं:-

विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/कार्यालयों की अनुसूची एवं गैर अनुसूची प्रपत्रों एवं बुको, राजपत्र, बजट अनुमान पुस्तिका, विधान सभा प्रश्नावली एवं कार्यवाही विवरण के साथ मतपत्र मुद्रण के अति गोपनीय कार्यों एवं नवीन वर्ष के शासकीय शीट कैलेंडर एवं नोटबुक का मुद्रण कर प्रदाय करना ।

मध्यप्रदेश राजपत्र एवं असाधारण राजपत्र को विभाग की वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर माह सितम्बर 2010 से अपलोड किया जा रहा है, जिससे शासकीय विभागों एवं आम जनता सुगमता से राजपत्र प्राप्त कर सके ।

### मुद्रणालय का आधुनिकीकरण:-

शासकीय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन से वित्तीय व्यय समिति की बैठक की जाकर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई । योजना मद में आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

### सोलर ऊर्जा:-

शासकीय प्रेस भोपाल के भवन पर सोलर ऊर्जा सिस्टम लगाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिकृत संस्था से अनुबंध निष्पादित किया जाकर सोलर सिस्टम लगाने का कार्य प्रगति पर है । इसके कार्यशील होने पर बिजली की बचत होगी ।



## हत्वपूर्ण सांख्यिकी:-

| लक्ष्य का नाम                | निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2020-21 | वार्षिक लक्ष्य के आधार पर 31.12.2020 तक का निर्धारित लक्ष्य | वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर 2020 तक की प्राप्ति | प्रतिशत |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1                            | 2                                | 3                                                           | 4                                                        | 5       |
| <b>भौतिक लक्ष्य</b>          |                                  |                                                             |                                                          |         |
| अ- मुद्रण इम्प्रेशन ए/2 आकार | 17,00,00,000                     | 12,74,99,998                                                | 4,47,25,364                                              | 37.07%  |
| ब- कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार     | 64,000                           | 47,998                                                      | 14,932                                                   | 31.10%  |
| आर्थिक लक्ष्य (रूपयों में)   | 38,00,00,000                     | 34,20,00,000                                                | 3,87,64,849                                              | 11.33%  |

## बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय:-

मांग संख्या-8 शीर्ष 2058-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का विवरण निम्नानुसार है:-

| बजट शीष का नाम           | वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रावधान | दिनांक 6-2-2021 तक का प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| मांग संख्या-8 शीर्ष 2058 | 50,74,00,000                     | 35,34,60,694                                        |



## मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय एवं निजी भूमियों के प्रबंधन से संबंधित बिन्दुओं की समग्र समीक्षा कर राज्य शासन को अनुसंशाएँ प्रस्तुत करने के लिए राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन दिनांक 25.08.2015 को किया गया है। आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह निम्न बिन्दुओं पर अपनी अनुसंशाएँ दे:-

1. भूमियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विधिक संशोधन।
2. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय।
3. भूमिस्वामियों, पट्टेदारों एवं अन्य भूमिधारकों और प्रशासन के बीच संव्यवहार को सरल एवं नागरिकोन्मुखी बनाना
4. राजस्व सेवाओं के प्रभावी प्रदाय के उपाय।
5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के भूमिस्वामियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों के हित संरक्षण के उपाय।

2. दिनांक 10 दिसम्बर 2015 से दिनांक 30.06.2020 तक श्री आई.एस. दाणी, सेवानिवृत्त आई.एस. द्वारा आयोग के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वाहन किया गया। दिनांक 30 जून 2020 से आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री जी.पी.सिंघल, सेवानिवृत्त, आई.एस. अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त उपायुक्त (विधि) 2015 से आयोग के सदस्य सचिव हैं।

वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त एक वरिष्ठ सलाहकार श्री ए.के. सिंह, सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एवं सलाहकार डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कार्यरत हैं।



3. आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च , 2021 तक कुल 13 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं , जिनके विवरण निम्नानुसार हैं

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| प्रतिवेदन क्रमांक 1 | राज्य में भूदान भूमियों और भूदान धारकों की स्थिति:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जनवरी , 2017 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 2 | भूमि और राजस्व प्रशासन में सुधार राजस्व मण्डल की समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अप्रैल 2017  |
| प्रतिवेदन क्रमांक 3 | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता , 1959 में संशोधन के प्रस्ताव प्रथम चरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अप्रैल 2018  |
| प्रतिवेदन क्रमांक 4 | भाग .1<br>मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता , 1959 की धारा 59 एवं 60 के अंतर्गत नये नियमों का प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अगस्त, 2018  |
|                     | भाग .2<br>( क ) मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता , 1959 की धारा 2 ( 1 ) ( फ ) , 58 क ( ख ) , 59 ( 1 ) ( च ) तथा 104 ( 2 ) के अंतर्गत प्रस्तावित अधिसूचनाओं के प्रारूप<br>( ख ) मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( संभागों , जिलों , उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन , सृजन तथा समाप्ति ) नियम , 2018 का प्रस्तावित प्रारूप<br>( ग ) मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( अनुचित रूप से बे - कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन ) नियम , 2018 का प्रस्तावित प्रारूप |              |



|                      |                                                                                                                     |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                      | भाग .3<br>मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता , 1959 की धारा<br>109 , 110 एवं 129 के अंतर्गत नये नियमों का<br>प्रस्ताव    |                 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 5  | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( राजस्व न्यायालयों<br>की प्रक्रिया ) नियम , 2019 का प्रस्तावित प्रारूप               | मई 2019         |
| प्रतिवेदन क्रमांक 6  | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( संशोधन )<br>विधेयक , 2019 का प्रारूप                                                | जनवरी ,<br>2020 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 7  | मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2019 का<br>प्रारूप                                                         | जनवरी ,<br>2020 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 8  | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( दखलरहित भूमि,<br>आबादी जनवरी 2020 तथा वाजिब - उल - अर्ज )<br>नियम , 2019 का प्रारूप | जनवरी ,<br>2020 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 9  | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( भू - सर्वेक्षण तथा<br>भू - अभिलेख ) नियम , 2020 का प्रारूप                          | जून , 2020      |
| प्रतिवेदन क्रमांक 10 | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( कृषि खाते<br>विभाजन ) जून 2020 नियम , 2020 का प्रा                                  | जून , 2020      |
| प्रतिवेदन क्रमांक 11 | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( भू - राजस्व<br>उगाही ) जून 2020 नियम , 2020 का प्रारूप                              | जून , 2020      |
| प्रतिवेदन क्रमांक 12 | मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता ( विविध ) नियम,<br>2020 का जून 2020 प्रारूप                                           | जून , 2020      |
| प्रतिवेदन क्रमांक 13 | नगरेत्तर क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से समन ,<br>2020 सार्वजनिक उद्घोषणा एवं नोटिस तामील<br>की व्यवस्था          | 2020            |



4. आयोग के प्रतिवेदन कमांक 3 की अनुशंसाएँ को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक , 2018 विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2018 के रूप में पारित कराया जाकर दिनांक 25 सितम्बर , 2018 से प्रभावशील किया गया ।

5. राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 में किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन करने या नये नियम बनाने के लिए नियमों के प्रारूपण हेतु आयोग के अध्यक्ष श्री दाणी की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया ।

6. आयोग एवं उक्त प्रारूपण समिति द्वारा संयुक्त रूप से विचार कर मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता , 1959 के कतिपय प्रावधानों के प्रारूपण का कार्य किया गया । आयोग के प्रतिवेदन कमांक 4 से 8 तक विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नियमों के प्रारूप तैयार करते हुए आयोग ने अपनी अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रेषित की हैं । राज्य शासन द्वारा प्रतिवेदन कमांक 4 , 5 एवं 8 में दी गई अनुशंसाओं को विचार में लेते हुए संहिता के कतिपय प्रावधानों के अधीन नियम बनाकर प्रभावशील किए हैं जिनके विवरण ऊपर कंडिका 3 में दिए गए हैं ।

7. आयोग के प्रतिवेदन कमांक 6 में मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता , 1959 में कतिपय संशोधनों के लिए अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई थी , जिन पर राज्य शासन द्वारा विचार करते हुए उक्त अनुशंसाओं के अनुक्रम में मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक , 2019 विधानसभा में प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2020 पारित कराया जाकर दिनांक 12 फरवरी , 2020 को प्रभावशील किया गया है ।



8. आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 7 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2019 विषय पर केन्द्रित करते हुए आयोग द्वारा शासकीय नजूल भूमियों के निर्वर्तन के विषय में अब तक समय - समय पर जारी किए गए समस्त निर्देशों / परिपत्रों का अध्ययन कर उन्हें समेकित तथा व्यवस्थित स्वरूप में प्रारूपित किया गया है। यह प्रतिवेदन राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर चर्चा और संवाद करने के उपरांत नयी अवधारणओं , सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए तैयार किया गया है , जिस पर राज्य सरकार विचार उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 दिनांक 14 सितम्बर , 2020 से प्रभावशील किए जा चुके हैं।

9. आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 9 से प्रतिवेदन क्रमांक 12 में क्रमशः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भूमि सर्वेक्षण तथ भू-अभिलेख) नियम, 2020 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खातों का विभाजन) नियम , 2020 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही ) नियम , 2020 तथा मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता (विविध) नियम , 2020 बनाए जाकर राज्य शासन द्वारा प्रभावशील किए जा चुके हैं।

10. आयोग का प्रतिवेदन क्रमांक 13 नगरेतर क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से समन, सार्वजनिक उद्घोषणा एवं नोटिस तामीली की व्यवस्था से संबंधित सितम्बर, 2020 में राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित किया जा चुका है।



| मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 |                                                      |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1.                                                   | मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 | 26 Sep, 2020 |
| मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, 2020            |                                                      |              |
| 1                                                    | मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, 2020            | 26 Sep, 2020 |

### नियमों में संशोधन

| क्र. | नियम                                                                                                                 | अधिसूचना की तिथि |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.   | संशोधन - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 | 26 May, 2020     |
| 2.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019- अधिसूचना                                    | 23 Jan, 2021     |
| 3.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020                                                          | 25 Sep, 2020     |
| 4.   | नवीन भू अभिलेख नियमावली भाग 1 एवं भाग 2                                                                              | 22 Oct, 2020     |
| 5.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020                                                         | 26 Sep, 2020     |
| 6.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020                                                                       | 06 Nov, 2020     |
| 7.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020                                                  | 06 Jul, 2020     |



| क्र. | शीर्षक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अधिसूचना की तिथि |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 14 सन 2020) द्वारा मूल अधिनियम में संशोधन                                                                                                                                                                                                                                                           | 08 May, 2020     |
| 2.   | नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 Sep, 2020     |
| 3.   | मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, प्रथम संस्करण वर्ष 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 Sep, 2020     |
| 4.   | मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश, 2020 लागू होने के संबंध में                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 Sep, 2020     |
| 5.   | मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, के अंतर्गत निष्पादित हस्तांतरण विलेख - संशोधित                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 Oct, 2020     |
| 6.   | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु अथवा निजी/भारत सरकार की कम्पनियों / निजी संस्थाओं को शासकीय वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए, शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में | 05 Jan, 2021     |
| 7.   | अधिसूचना - मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र, खण्ड-2, क्रमांक-01 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "अ" - मद 19 एवं 20 में संशोधन                                                                                                                                                                                                                            | 30 Jan, 2021     |
| 8.   | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 अंतर्गत जारी अधिसूचना एवं स्थायी निर्देश के संबंध में                                                                                                                                                                                                                                   | 03 Feb, 2021     |
| 9.   | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 33(1) के संबंध में मार्गदर्शन                                                                                                                                                                                                                           | 06 Jul, 2020     |



|     |                                                                                                                                 |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. | "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना" का क्रियान्वयन 12-06-19                                                       | 12 Jun, 2019 |
| 11. | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अन्तर्गत अधिसूचना के संबंध में                                                     | 16 Jan, 2020 |
| 12. | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 के अन्तर्गत नगरीय/विकास योजना क्षेत्रों में अवस्थित सेवा भूमि के मामलों में कार्यवाही | 22 Feb, 2020 |
| 13. | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के संबंध में                                     | 12 Mar, 2020 |
| 14. | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 के संबंध में                                                       | 30 Sep, 2020 |
| 15. | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020 के संबंध में                                                        | 30 Sep, 2020 |
| 16. | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020 के संबंध में                                                                     | 12 Nov, 2020 |
| 17. | मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, 2020 के संबंध में                                                                          | 30 Sep, 2020 |
| 18. | मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 अंतर्गत जारी अधिसूचना के संबंध में                                                             | 01 Jan, 2021 |
| 19. | मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना - 2020                                                                                   | 17 Apr, 2020 |
| 20. | मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना                                                                                        | 17 Apr, 2020 |
| 21. | संशोधित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना                                                                                | 26 Sep, 2020 |
| 22. | मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 के संबंध में                                                               | 30 Sep, 2020 |



## राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण वेबसाइट

[www.revenue.mp.gov.in](http://www.revenue.mp.gov.in)

[www.prc.mp.gov.in](http://www.prc.mp.gov.in)

[www.rcms.mp.gov.in](http://www.rcms.mp.gov.in)

[www.boardofrevenue.mp.gov.in](http://www.boardofrevenue.mp.gov.in)

[www.landrecords.mp.gov.in](http://www.landrecords.mp.gov.in)

[www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in)

राजस्व विभाग

प्रमुख राजस्व आयुक्त

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण पोर्टल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश भू-लेख पोर्टल

